घटती घटना
सत्य के साथ...जनहित में बात...
www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 219- बुधवार 10- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए

2 साल में देश के एटमी हथियार 180 से बढ़कर 190 हुए,पाकिस्तान से 20 ज्यादा

नई दिल्ली,09 जून 2026। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में यह बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती की है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी 170 परमाणु हथियार हैं। उसके कितने हथियार तैनात हैं, यह स्पष्ट नहीं है। रूस-अमेरिका की तरह भारत अपने परमाणु हथियारों की सटीक संख्या, क्षमता और नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं करता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरी संस्थाएं केवल अनुमान के आधार पर रिपोर्ट जारी करती हैं। भारत लंबी दूरी के ऐसे हथियार बनाने पर फोकस बढ़ा रहा है, ताकि उनकी पहुंच चीन के आखिरी छोर तक हो सके। दरअसल, भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर संतुलित रणनीतिक क्षमता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट के 3 पॉइंट्स जो भारत से जुड़े

दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश

2025 में भारत का रक्षा खर्च 92.1 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक है। रक्षा खर्च के मामले में भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी हैं।

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश

2021-25 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भी रहा। वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% रही। यूक्रेन,भारत, सऊदी अरब,कतर और पाकिस्तान की संयुक्त हिस्सेदारी 35% रही।

अमेरिका-रूस के पास दुनिया के करीब 86% परमाणु हथियार

दोनों देश बड़े स्तर पर परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहे हैं। चीन का परमाणु भंडार भी बढ़कर 600 से 620 हथियारों तक पहुंच गया है। भारत के पास 190, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं।

दुनिया के 9 देशों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इयरबुक 2026 के अनुसार दुनिया एक नए परमाणु प्रतियोगिता के दौर में पहुंच रही है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान समेत सभी परमाणु संपन्न देश अपने हथियारों और डिलीवरी सिस्टम को तेजी से अपग्रेड कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत में दुनिया के 9 देशों अमेरिका,रूस,ब्रिटेन,फ्रांस,चीन,भारत, पाकिस्तान,उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं। इसमें से 9,745 परमाणु हथियार सेना के भंडार गृह में हैं, जो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

समुद्र में भी बढ़ी परमाणु ताकत

रिपोर्ट में भारत की समुद्री परमाणु क्षमता को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां,खासकर INS अरिहंत, अब देश की 'सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी' का बड़ा आधार बन रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि भारत अब शांति काल में भी सीमित संख्या में परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर तैनात करने लगा है। इससे दुश्मन के पहले हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहती है।

राजस्थान में जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग,7 की मौत...

जयपुर,09 जून 2026। जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक घर में संचालित पटाखा फैक्टरी में भीषण आग लगने और विस्फोट होने से मौके पर ही सात लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में मृतकों की पहचान अब्दुल वाहिद (50), राबिल, बिलाल खान (30), समीर (20) और आजीम खान उर्फ आविद के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। वहीं गंभीर रूप से घायल नासिर का एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में उपचार जारी है। एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. आर.के. जैन के अनुसार नासिर करीब 95 प्रतिशत तक झुलस चुका है और उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जिस मकान में हादसा हुआ, वहां घर के भीतर ही पटाखा निर्माण का काम चल रहा था। अचानक आग लगने के बाद तेज धमाके हुए, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, सिविल डिफेंस, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने मौके पर कई लोगों की जलने से मौत की पुष्टि की है, जबकि अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस संबंध में एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉ.

दीपक माहेश्वरी ने घायलों की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉ. माहेश्वरी के अनुसार, इन सभी घायलों की स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि ये सभी 50 प्रतिशत से अधिक झुलस चुके हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि डॉक्टरों की टीम घायलों के इलाज में पूरी मुस्तैदी से जुटी है और उन्हें बचाने के लिए हरसंभव चिकित्सा प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पताल से मिली शुरुआती जानकारियों को साझा करते हुए बताया कि हादसे में झुलसे तीन मरीजों को इस वक्त बर्न वार्ड के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ये तीनों ही मरीज करीब 50 फीसदी तक झुलस चुके हैं, जिसे चिकित्सा विज्ञान में काफी हाई रेट माना जाता है, इसलिए इनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने आशंका जताते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में करीब 10 और लोगों के झुलसने का अनुमान है।

ईडी ने दिल्ली-नोएडा समेत देश के चार राज्यों के अलग-अलग शहरों में मारे छापे

ये छापेमारी आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में की

नई दिल्ली,09 जून 2026। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में ईडी ने दिल्ली-नोएडा समेत देश के चार राज्यों के अलग-अलग शहरों में छापेमारी की है। ईडी की टीमों ने कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ी है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने पंजाब के लुधियाना और जालंधर, यूपी के बरेली, साथ ही दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में कुल 6 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है,जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है, उनमें घर और कारोबारी दफ्तर शामिल हैं। ये ठिकाने उन लोगों और संस्थाओं से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनका नाम हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड मामले की जांच में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई मनी

लॉन्ड्रिंग यानी पैसे के अवैध हेरफेर से जुड़े मामले की जांच के तहत हुई। ईडी ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एजेंसी ने पहले की पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर यह कदम उठाया। इस छापेमारी का मकसद अहम दस्तावेजों के साथ कई डिजिटल सबूत जुटाना था। इस मामले में ईडी पहले ही आप नेता संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में कई वित्तीय लेनदेन और कारोबारी कड़ियों की पड़ताल की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच टीम का पूरा फोकस यह समझने पर था कि इस खेल में किन-किन लोगों की भूमिका रही है। इसके अलावा पैसों के लेन-देन का नेटवर्क कितना बड़ा फैला था, इसकी कड़ियां भी जोड़ी गई हैं। कई ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई के बाद आने वाले समय में इस मामले से जुड़े कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जालंधर में मंगलवार सुबह ईडी ने शहर में कई स्थानों पर छापे मारे। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी है। सूत्रों के मुताबिक न्यू जवाहर नगर स्थित आईकोनिक मॉल के नजदीक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर भी ईडी ने छापा मारा।

राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

मध्य प्रदेश,09 जून 2026। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। नामांकन रद्द होने के बाद राज्यसभा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त मजबूत मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसके बाद जांच में यह मामला सामने आया कि उन्होंने अपने नामांकन में एक महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख नहीं किया था। आरोप है कि उन्होंने तेलंगाना में दर्ज एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी को नामांकन पत्र में छुपाया था। नामांकन प्रक्रिया के दौरान नियमों के अनुसार उम्मीदवार को अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होता है।

गुजरात से महाराष्ट्र जा रहे परिवार की कार दूसरे वाहनों से टकराई,6 की मौत

जलगांव,09 जून 2026। गुजरात के व्यारा से कार से जा रहे एक परिवार की कार मंगलवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर-धुले रोड पर दूसरे वाहनों से टकरा गई। इसमें कार चार लोगों सहित 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हो गए हैं। उन्हें अमलनेर के पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा जलगांव जिले के अमलनेर-धुले रोड पर होटल वृंदावन और मंगरूल गांव के पास कार, एसटी बस और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर में हुआ। इसमें एक गुजरात निवासी एक परिवार के चार सदस्यों समेत कुल छह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार सवार यह परिवार महाराष्ट्र के मंगरूल गांव के पास

आयोजित सगाई समारोह में शामिल होने के लिए कार से जा रहा था।

बताया गया कि एसटी बस और एक बाइक अमलनेर से धुले की ओर जा रहे थे। इसी दौरान धुले की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो गया और कार सीधे एसटी बस तथा बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार और बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार धरनगांव निवासी दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और गुजरात निवासी कार सवार नंदलाल गोपाल महाजन, सुरेश विक्रम महाजन, अनीता सुरेश महाजन और निर्मला नंदलाल महाजन ने भी घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि यह गुजराती परिवार व्यारा से अमलनेर में मंगरूल गांव के पास आयोजित एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहा था।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के बाद कार के मलबे में एक मासूम बच्चा फंस गया था, जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

हादसे में एसटी बस में सवार दीपक दिलीप पाटील गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। इस हृदयविदारक हादसे से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

खान सर की गिरफ्तारी पर रोक...कोर्ट में वकील बोले- गोली खान सर ने नहीं चलाई रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज

पटना,09 जून 2026। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या

दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई। किसी तरह से भय फैलाना मकसद नहीं था। खान सर के वकील ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर खान सर की ओर से पटना के जिला एवं सत्र कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है। इधर, खान सर की कोचिंग पर हमला मामले में जेल में बंद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

सरकार ने कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के लिए जारी किए नियम

नई दिल्ली,09 जून 2026। सरकार ने देश में कोयला कारोबार व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, दक्ष और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के नियम प्रकाशित किए हैं। इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत ऊर्जा बाजारों को मजबूत बनाने में मदद

मिलेगी। कोयला मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि सरकार देश में कोयला एक्सचेंजों की स्थापना के लिए मार्ग तैयार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 ने खनिज एक्सचेंज की अवधारणा को लागू किया है। केंद्र सरकार को कोयले और उसके प्रसंस्कृत रूपों सहित खनिजों के पारदर्शी और कुशल व्यापार को बढ़ावा देने का अधिकार दिया है। मंत्रालय के मुताबिक उपरोक्त के अनुसरण में कोयला मंत्रालय ने 04 जून को राजपत्र में कोयला एक्सचेंज नियम, 2026 प्रकाशित किए गए हैं इस पहल को सुगम बनाने के लिए कोयला मंत्रालय ने दिसंबर, 2025 में कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण और विनियमन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में नामित किया है। पात्र संस्थाओं को सीसीओ द्वारा कोयला एक्सचेंज स्थापित करने तथा संचालित करने, बाजार नियम तथा उपनियम बनाने और कोयला व्यापार को सुगम बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ने लैंड पोर्ट्स का महत्व स्थापित किया : अमित शाह

नई दिल्ली,09 जून 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को भारत के लैंड पोर्ट्स के संचालन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विकसित डिजिटल मंच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन किया। यह प्रणाली सीमा शुल्क,आव्रजन,सीमा सुरक्षा बल और अन्य संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर शाह ने कहा कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी की संकल्पना 2014 से पहले एक रिपोर्ट की सिफारिशों से सामने आई थी। वर्ष 2012 से 2014 के बीच इसे आकार दिया गया और दो लैंड पोर्ट भी शुरू किए गए। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस अवधारणा को नई दिशा मिली। वास्तव में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी का विचार मुख्य

रूप से सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण आया था,लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने इसे केवल सुरक्षा के पहले कवच तक सीमित नहीं रखा। इसके साथ-साथ इसे व्यापार को सुगम और सुरक्षित बनाने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में भी विकसित किया गया।उन्होंने कहा कि इस सोच में एक नया आयाम भी जोड़ा गया कि लैंड पोर्ट दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क का पुल बन सकते हैं। साथ ही यह भी प्रयास किया गया कि लैंड पोर्ट भारत की संस्कृति और विरासत के राजदूत के रूप में भी कार्य करें। गृह मंत्री ने कहा कि विस्तृत अध्ययन के बाद वह यह कह सकते हैं कि लैंड पोर्ट्स के तेज विकास से न केवल व्यापार बढ़ा है और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है बल्कि अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने के प्रयासों को भी बल मिला है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास में भी लैंड पोर्ट्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जिन इलाकों में पलायन बड़ी समस्या थी,वहां इस चुनौती से निपटने में भी मदद मिली है। शाह ने कहा कि भारत जैसे विशाल देश में सीमा प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय 'स्मार्ट बॉर्डर' की अवधारणा और बहुआयामी रणनीति के साथ देश की स्थलीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस विजन में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) तैयार करते समय सभी हितधारकों की जरूरतों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

पहले हनी ट्रैप,फिर फर्जी सुसाइड नोट...व्यापारी से ऐंठे 2.77 करोड़ यूथ कांग्रेस नेता समेत 2 गिरफ्तार

नई दिल्ली,09 जून 2026। कर्नाटक के मंगलुरु जिले में हनी ट्रैप और जबरन वसूली मामले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस ने कथित हनी-ट्रैप और जबरन वसूली रैकेट के मामले में यूथ कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी निजाम और उसके साथी जितेश को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट ने कथित तौर पर लगभग दो साल में एक बड़े व्यापारी से 2.77 करोड़ रुपये वसूले थे। उर्वा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, जितेश ने कथित तौर पर 2024 में व्यापारी को हनी-ट्रैप में फंसाया और बाद में अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया। उस पर आरोप है कि उसने पीड़ित के परिवार के सामने ये तस्वीरें और वीडियो उजागर करने की धमकी दी और शुरुआत में 35 लाख रुपये की मांग की। पुलिस की जांच से पता चला कि बिजनेसमैन ने मदद के लिए यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी निजाम से संपर्क किया था। हालांकि, जांचकर्ताओं का आरोप है कि बाद में निजाम भी जितेश के साथ मिलकर जबरन वसूली के इस खेल में शामिल हो गया।

ममता ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ व्हिप बनाया...स्पीकर को लेटर लिखा,एक दिन पहले 20 बागी सांसदों ने काकोली को व्हिप चुना था

नई दिल्ली,09 जून 2026। टीएमसी में टूट के बीच ममता बनर्जी ने मंगलवार को सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसदों में से 20 ने एक दिन पहले बगावत के बाद ममता का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने इस सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इन लोगों ने सांसद काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ व्हिप चुना था। खुद काकोली घोष ने बागी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सिटिंग मांगी थी। चीफ व्हिप किसी राजनीतिक दल का सीनियर नेता होता है, जो संसद या विधानसभा में पार्टी के सांसदों/विधायकों के बीच अनुशासन बनाए रखने और पार्टी की रणनीति लागू कराने की जिम्मेदारी संभालता है।

ओमान तट के पास जहाज पर हुए हमले में सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य बचाए गए : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली,09 जून 2026। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि ओमान तट के पास पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी मैरिवेक्स पर हुए हमले में सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित बचा लिए गए हैं। भारतीय दूतावास ने ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर नाविकों को सुरक्षित निकालने में मदद की। मंत्रालय ने ओमान सरकार का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि ओमान तट के पास पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी मैरिवेक्स पर हमला हुआ था। घटना से पहले जहाज के

चालक दल और अमेरिकी नौसेना के बीच कुछ संवाद हुआ था। जहाज पर चालक दल के कुल 24 सदस्य सवार थे, सभी भारतीय नागरिक हैं। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भारतीय दूतावास ने ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर बचाव अभियान संचालित किया। मंत्रालय ने ओमान सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि दूतावास नाविकों के संपर्क में है। उल्लेखनीय है कि मुंबई स्थित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी मुंबई) को सोमवार दोपहर करीब 2:20 बजे जहाज पर हमले की सूचना मिली थी। यह सूचना जहाज पर मौजूद एक नाविक के परिजन द्वारा दी गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एमआरसीसी मुंबई ने तुरंत ओमान के समुद्री खोज एवं बचाव केंद्र से संपर्क किया और चालक दल को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

संपादकीय

औपनिवेशिक छाप से मुक्त हो शिक्षा

देश में रह-रहकर बौद्धिक वर्ग में डीकोलोनाइजेशन यानी वि-उपनिवेशीकरण की चर्चा छिड़ती रहती है,लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी वि-उपनिवेशीकरण की मुहिम छिड़े तो उसका आधार भी भारतीय होना चाहिए। हमें इस तथ्य को पहचान कर भारत में समकालीन उच्च शिक्षण संस्थाओं और उनके उत्पादों,अनुसंधान प्रयासों एवं स्नातकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को नवाचारों के माध्यम से सजीव करने की आवश्यकता तो बहुत दिनों से महसूस की जाती रही है,परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। यह प्रवृत्ति देशज विकास के प्रयासों में सदैव बाधक ही रहेगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश की शैक्षणिक प्रणाली पर औपनिवेशिक पकड़ को समाप्त करना एक कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है।

वर्तमान में कई भारतीय संस्थानों के पाठ्यक्रम भारतीय परिप्रेक्ष्य की वास्तविकताओं या इसकी समस्याओं के ज्ञान को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते। उच्च संस्थानों की प्रणालियों में भारतीय ज्ञान के वि-उपनिवेशीकरण के प्रयासों को तभी स्पष्ट और सक्रिय रूप से समर्थन दिया जा सकेगा,जब छात्रों को यह सिखाया जाए कि मौलिकता की राह पर कैसे चलें? उन्हें भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष और विशिष्ट समाधान की दिशा में सोचने के लिए भी शिक्षित करना होगा। भारतीय ज्ञान की वर्तमान व्यवस्था के वि-उपनिवेशीकरण से ही पूर्ण स्वराज की प्राप्ति संभव हो सकेगी। अब नवोन्मेषी विचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले सोचने के लिए ज्ञान मीमांसकीय रूप से स्वतंत्र होना होगा। ज्ञान मीमांसकीय मुक्ति मानसिक,भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता को जन्म देती है।

शिक्षा के उच्च संस्थानों ने भारतीय विचार-दृष्टि की गतिशीलता पर अपनी पकड़ खो दी है। इसका एक विशेष कारण है ज्ञान को समायोजित करने के लिए भारतीय भाषाओं को विकसित करने में विफलता। आज भी अंग्रेजी प्रामाणिक भाषा है और ज्ञान की दुनिया में उसी का वर्चस्व है। मन में हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में सोचते हुए उन विचारों को अंग्रेजी में उल्था कर प्रस्तुत करना समयसाध्य है ही नहीं,बहुधा निष्प्रभावी एवं अप्रामाणिक भी सिद्ध होता है। मौलिक सोच का अवसर इसलिए भी जाता रहता है कि हम अपने विचार और उसकी कोटियां विदेश से आयातित किए हुए हैं और उसमें 'फिट' किए बगैर सोचने-विचारने की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो पाती है।

अपने शिक्षण संस्थानों में होने वाले बौद्धिक प्रयासों,शिक्षण प्रक्रिया और अनुसंधान में भारतीय भाषाओं को संस्थागत रूप से न अपना पाना मौलिकता के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि कई देश जो तकनीकी की प्रगति में छलांग लगा रहे हैं,आविष्कारों में प्रगति कर रहे हैं और अकादमिक उत्कृष्टता की सीमाओं को तोड़ रहे हैं,वे ही देश हैं जिन्होंने अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम को अपने अनुसार अनुकूलित एवं विकसित किया है। दुर्भाग्य से हमने अपने सोच को उन सीमाओं के भीतर ही सीमित करके बांध लिया है, जो पश्चिमी शिक्षा से विरासत के रूप में हमें मिला। साथ ही हम व्यावहारिक और उपयोगी विकल्प खोजने के लिए पर्याप्त उत्सुक भी नहीं हैं।

पुनर्वास पट्टे की भूमि का हस्तांतरण

सरगुजा में कानूनी सवाल,फर्जीवाड़े के आरोप और आजीविका सुरक्षा का संकट

सुधा सिंह
अम्बिकापुर,सरगुजा(छ.ग.)

सरगुजा जिले में पुनर्वास पट्टे से प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय एवं पंजीयन पर लगाई गई रोक ने एक बार फिर उस गंभीर प्रश्न को सामने ला दिया है,जिस पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। पुनर्वास के उद्देश्य से दी गई भूमि,जिसे प्रभावित परिवारों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवंटित किया गया था,आखिर किस प्रकार बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त के दायरे में पहुंच गई?

यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरगुजा में वर्षों से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पुनर्वास पट्टे की भूमि के हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त करने के लिए कई मामलों में तथ्यों को छिपाया गया,भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की गई या वास्तविक परिस्थितियों से अलग दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। यदि ऐसा हुआ है, तो यह केवल राजस्व नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि शासन की पुनर्वास नीति की मूल भावना पर भी आघात है।

पुनर्वास भूमि का उद्देश्य

पुनर्वास पट्टा कोई सामान्य कृषि भूमि का पट्टा नहीं होता। इसका उद्देश्य उस व्यक्ति या परिवार को पुनर्स्थापित करना होता है,जिसकी आजीविका किसी परियोजना,अधिग्रहण,विस्थापन या अन्य कारणों से प्रभावित हुई हो। सरकार ऐसे परिवारों को इसलिए भूमि देती है ताकि वे भविष्य में भूमिहीन न हों और उनके पास जीविकोपार्जन का स्थायी साधन बना रहे। इसलिए कानून ने ऐसी भूमि के हस्तांतरण पर विशेष प्रतिबंध लगाए हैं।

सरगुजा में उठते रहे हैं सवाल

सरगुजा में समय-समय पर यह आरोप सामने आते रहे हैं कि पुनर्वास पट्टे की कुछ भूमि के हस्तांतरण के लिए अनुमति प्राप्त करने के दौरान वास्तविक तथ्यों का पूर्ण खुलासा नहीं किया गया।

कई मामलों में यह प्रश्न उठता रहा है कि...

- क्या अनुमति देने वाले अधिकारी के समक्ष सभी तथ्य रखे गए थे?
- क्या यह बताया गया था कि भूमि पुनर्वास श्रेणी की है?
- क्या लाभार्थी की वास्तविक आर्थिक स्थिति का परीक्षण किया गया था?
- क्या यह जांच हुई थी कि भूमि बेचने के बाद परिवार के पास जीविकोपार्जन का अन्य साधन रहेगा या नहीं?
- क्या राजस्व अभिलेखों और मूल पट्टा शर्तों का सही परीक्षण किया गया था?
- यदि इन प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं,तो ऐसे मामलों की वैधानिकता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े होते हैं।
- गलत जानकारी देकर ली गई अनुमति का कानूनी प्रभाव भारतीय विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि धोखा धड़ी या मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त आदेश कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं माना जाता।

यदि किसी व्यक्ति ने तथ्य छिपाकर,

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

गलत जानकारी देकर या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत कर भूमि हस्तांतरण की अनुमति प्राप्त की है,तो सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे आदेश की समीक्षा, निरस्तीकरण अथवा पुनरीक्षण का अधिकार हो सकता है,बशर्ते संबंधित कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाए।

ऐसे मामलों में सामान्यत: निम्न बिंदुओं की जांच की जा सकती है...

- मूल पट्टा आदेश।
- भूमि की श्रेणी।
- अनुमति आवेदन में प्रस्तुत जानकारी।
- राजस्व अभिलेख।
- जांच प्रतिवेदन।
- अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया।
- लाभार्थी और क्रेता के बीच लेन-देन की परिस्थितियां।

यदि यह प्रमाणित हो जाए कि अनुमति धोखे या तथ्य छिपाकर प्राप्त की गई थी, तो संबंधित आदेशों को चुनौती दी जा सकती है और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अलग-अलग कानूनों के तहत कार्रवाई की संभावना भी बन सकती है।

प्रशासनिक और न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी?

सरगुजा में यदि वास्तव में बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण हुए हैं जिनमें नियमों की अनदेखी या तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण हुआ है,तो केवल भविष्य के क्रय-विक्रय पर रोक पर्याप्त नहीं होगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि आवश्यकता इस बात की भी है कि:-

- पूर्व में दी गई अनुमतियों की समीक्षा की जाए।
- संदिग्ध मामलों का रिकॉर्ड सत्यापित किया जाए।
- मूल पुनर्वास शर्तों का परीक्षण किया जाए।
- जिम्मेदार अधिकारियों एवं आवेदकों की भूमिका की जांच की जाए।
- यह देखा जाए कि कहीं शासन को गलत जानकारी देकर निर्णय तो नहीं कराया गया।

सरगुजा की सामाजिक वास्तविकता

सरगुजा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी परिवार कृषि भूमि पर निर्भर हैं। ऐसे क्षेत्र में पुनर्वास भूमि का महत्व केवल संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह परिवार की खाद्य सुरक्षा,रोजगार और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा विषय है। यदि पुनर्वास भूमि धीरे-धीरे निजी खरीद-फरोख्त का माध्यम बन जाती है, तो कुछ वर्षों बाद वही परिवार पुनः भूमिहीनता और आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में पहुंच सकते हैं,जिन्हें पुनर्वास नीति के माध्यम से सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था।

वर्तमान रोक का महत्व

कलेक्टर द्वारा क्रय-विक्रय और पंजीयन पर लगाई गई रोक को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। यह कदम केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि उस व्यापक कानूनी प्रश्न से जुड़ा है कि पुनर्वास पट्टे की भूमि के हस्तांतरण की अनुमति देने का अधिकार किन परिस्थितियों में और किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही यह अवसर भी है कि पिछले वर्षों में हुए ऐसे सभी प्रकरणों की निष्पक्ष समीक्षा हो, जिन पर नियमों के उल्लंघन,तथ्य छिपाने या फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं। सरगुजा में पुनर्वास पट्टे की भूमि का मामला केवल जमीन की खरीद-फरोख्त का मुद्दा नहीं है। यह शासन की पुनर्वास नीति,गरीब एवं विस्थापित परिवारों के अधिकार,राजस्व प्रशासन की जवाबदेही और कानून के शासन से जुड़ा विषय है। यदि किसी भी स्तर पर गलत जानकारी,तथ्य छिपाने या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुमति प्राप्त की गई है,तो ऐसे मामलों की पारदर्शी जांच और कानूनी समीक्षा आवश्यक है। अन्यथा पुनर्वास के लिए दी गई भूमि धीरे-धीरे अपने मूल उद्देश्य से भटककर केवल व्यापारिक संपत्ति बनकर रह जाएगी,जो पुनर्वास नीति की भावना के विपरीत होगा।

बेगुनाह जिंदगियों से खेलता भ्रष्ट तंत्र और दिल्ली के अंतहीन अग्निकांड

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

हर अग्निकांड के बाद एक ही सवाल : जिम्मेदार कौन?

पिछले दिनों दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हमारे यहां हादसे अचानक नहीं होते बल्कि उन्हें पैदा किया जाता है। 21 लोगों की दर्दनाक मौत,दर्जनों घायल, धुएं में घुटती सांसें,तीसरी मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगाते लोग और बेसमेंट के बाहर बंद पड़ा निकास द्वार,यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता,भ्रष्ट व्यवस्था और नियमों की खुलेआम हत्या का भयावह परिणाम था। दु:खद यह है कि यह कोई नई कहानी नहीं है। दिल्ली बार-बार अग्निकांडों में जलती है,लोग बार-बार मरते हैं,जांच समितियां बनती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मालवीय नगर के हादसे में जो शुरुआती तथ्य सामने आए,वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने वाले थे। जिस भवन में'लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट'और 'मिकासा होम्स' संचालित हो रहे थे, वहां कथित रूप से छह कमरों की अनुमति के बावजूद 25 से अधिक कमरे बनाए गए थे। भवन से निकलने का केवल एक रास्ता था। बेसमेंट में लोगों की मौजूदगी के बावजूद बाहरी गेट पर ताला लगा था। आग लगने के बाद धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोग बाहर निकल ही नहीं सके। कुछ लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की। यह दृश्य 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड की भयावह यादों को फिर से ताजा कर गया, जहां बाहर निकलने के रास्ते बंद होने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई थी।

दिल्ली में अग्निकांडों का इतिहास बताता है कि हर बड़ी त्रासदी के पीछे कहानी लगभग एक जैसी है,अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी,भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाण-पत्र,बंद निकास द्वार और प्रशासनिक लापरवाही। 13 जून 1997 को हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी,जो दिल्ली का अब तक का सबसे भयावह अग्निकांड माना जाता है। आग लगने के बाद सिनेमा हॉल में धुआं भर गया और निकास मार्ग अवरुद्ध होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल सके। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस हादसे के बाद सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने की बातें तो बहुत हुई लेकिन वास्तविकता यही है कि उनसे कोई स्थायी सबक नहीं लिया गया। 31 मई 1999 को लाल कुआं स्थित केमिकल गोदाम में लगी आग में 57 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी अवैध गोदामों और रासायनिक इकाइयों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया गया। 8 दिसंबर 2019 को अनाज मंडी की अवैध फैक्टरी में लगी आग में 43 लोगों की मौत हुई। उस समय भी खुलासा हुआ था कि इमारत में निकास के पर्याप्त रास्ते नहीं थे,सीढ़ियां सामान से भरी थी और खिड़कियों पर लोहे की ग्रिलें लगी थी। जहरीले धुएं ने

मजदूरों को सोते हुए ही मौत की नींद सुला दिया। 12 फरवरी 2019 को करोल बाग के अर्पित पैलेस होटल में लगी आग में 17 लोगों की जान गई। जांच में सामने आया कि होटल में अवैध निर्माण हुआ था और सुरक्षा उपकरण पर्याप्त नहीं थे। 2022 में मुंडका की व्यावसायिक इमारत में लगी आग में 27 लोगों की मौत हुई। वहां भी केवल एक निकास मार्ग था और सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। उसी वर्ष गोकुलपुरी की झुग्गी बस्ती में आग से 7 लोगों की जान चली गई। 2024 में अलीपुर की अवैध पेंट फैक्टरी में लगी आग में 11 लोगों की मौत हुई। 2026 में पालम और विवेक विहार में हुए अग्निकांडों में नौ-नौ लोगों की जान गई। अब मालवीय नगर की त्रासदी ने मृतकों की सूची में 21 और नाम जो दिए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2026 से 27 मई 2026 तक आग की घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद विवेक विहार और मालवीय नगर की घटनाओं को जो दें तो यह संख्या 67 से अधिक हो चुकी है। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं बल्कि उन परिवारों की बर्बादी का दस्तावेज है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी इमारतें बन कैसे जाती हैं? कैसे आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चलने लगती हैं? कैसे छह कमरों की अनुमति वाले भवन में 25 कमरे बन जाते हैं? कैसे फायर एनओसी के बिना होटल,रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियां वर्षों तक संचालित होती रहती हैं? कैसे चार मंजिल की अनुमति वाले क्षेत्र में छह-सात मंजिलें खड़ी हो जाती हैं? इन सवालों का जवाब किसी जांच आयोग की मोटी रिपोर्ट में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की उस जड़ में छिपा है,जिसने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया है। यदि कोई अवैध इमारत बनती है तो वह एक दिन में नहीं बनती। उसकी नींव पड़ती है, दीवारें उठती हैं,मंजिलें तैयार होती हैं, बिजली के कनेक्शन लगते हैं,पानी के कनेक्शन मिलते हैं और फिर व्यापार शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक सरकारी विभागों की आंखों के सामने सब कुछ होता है। इसलिए यह कहना कि प्रशासन को जानकारी नहीं थी, वास्तविकता से आंखें मूंदना होगा। सच यह है कि ऐसी अधिकांश इमारतें प्रशासन और कारोबारियों की मिलीभगत का परिणाम होती हैं।

हर हादसे के बाद राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री,मंत्री,सांसद और विधायक घटनास्थल पर पहुंचते हैं। जांच के आदेश दिए जाते हैं, मुआवजे की घोषणाएं होती हैं और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी बड़े अधिकारी को कठोर दंड मिला? क्या कभी किसी विभागीय प्रमुख को जवाबदेह ठहराया गया? क्या कभी ऐसी कार्रवाई हुई कि भविष्य में कोई अधिकारी नियमों की अनदेखी करने का साहस न कर सके? दुर्भाग्य से जवाब है 'नहीं'। मालवीय नगर का हादसा भी केवल एक होटल या रेस्टोरेंट की कहानी नहीं है। यह उस पूरे शहरी विकास मॉडल पर प्रश्नचिह्न है, जहां मुनाफा मानव जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं,जहां फायर सेफ्टी के उपकरण या तो हैं ही नहीं या केवल दिखावे के लिए लगाए गए हैं। अनेक भवनों में इमरजेंसी एग्जिट कागजों में मौजूद हैं लेकिन वास्तविकता में बंद पड़े हैं। कई जगहों पर बेसमेंट का उपयोग पार्किंग की बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। संकरी गलियों में बहुमंजिला भवन खड़े हैं,जहां दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकती।

अब समय आ गया है कि केवल जांच और मुआवजे की राजनीति से आगे बढ़ा जाए। दिल्ली में सभी होटलों, गेस्ट हाउसों,रेस्टोरेंटों,अस्पतालों,फैक्ट्रियों और बहुमंजिला इमारतों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। फायर एनओसी की व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी बने। अवैध निर्माण पर केवल जुर्माना नहीं बल्कि तत्काल ध्वस्तीकरण हो। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले भवन मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर-इरादतन हत्या नहीं बल्कि कठोर आपराधिक मुकदमे दर्ज हों। जब तक जवाबदेही की तलवार ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक नीचे कोई नहीं सुधरेगा। मालवीय नगर की आग में मारे गए लोग किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा नहीं थे,वे आम नागरिक थे,जिनमें महिलाएं थी,विदेशी नागरिक थे,मरीजों के परिजन थे और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर वहां ठहरे हुए लोग थे। आज जरूरत शोक व्यक्त करने से ज्यादा आत्ममंथन की है। उपहार कांड से लेकर मालवीय नगर तक लगभग तीन दशक बीत चुके हैं लेकिन व्यवस्था की मानसिकता नहीं बदली। यदि इस बार भी कुछ दिनों के शोर-शराबे के बाद सब कुछ सामान्य हो गया तो यकीन मानिए,अगला अग्निकांड केवल समय का प्रश्न होगा। तब फिर वही सवाल गूंजेगा कि आखिर बेगुनाह लोगों की जान से खेलते इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है?

राज्यसभा में 2/3 बहुमत से मोदी सरकार को असीम शक्तियां

संजय सक्सेना,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

भारतीय राजनीति में 18 जून 2026 की तारीख एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। देश के 12 राज्यों में राज्यसभा की 26 सीटों पर होने वाले चुनाव केवल सांख्यिकीय फेरबदल नहीं हैं,बल्कि ये उस संवैधानिक भविष्य की नींव रख सकते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वर्षों से आकार देने की कोशिश कर रहा है। इन चुनावों के बाद राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 150 के पार पहुंचने की उम्मीद है,जो उसे दो-तिहाई बहुमत के और करीब ले जाएगा।राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत का अर्थ केवल संख्या बल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में यह साफ किया गया है कि किसी भी संविधान संशोधन को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। इस विशेष बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन से होता है। यही वह कुंजी है जो संविधान के उन दरवाजों को खोल सकती है जो अब तक बंद थे। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का मामला सबसे पहले और सबसे अधिक चर्चित है। संविधान के 130 वें संशोधन विधेयक को लोकसभा से संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की संस्तुति मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इस बिल को सभा पटल के सामने रखा था,लेकिन सरकार के पास संवैधानिक संशोधन को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत नहीं था। अप्रैल 2026 में संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हुई,लेकिन इसे पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी, जो सरकार को नहीं मिल सकी। अब यदि 18 जून के बाद राज्यसभा में बहुमत का गणित बदलता है तो यह विधेयक मानसून सत्र में फिर से जीवित हो सकता है। इससे जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मानसून सत्र में फिर से पेश करने के लिए भाजपा की योजना 18 जून को राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद द्रमुक समेत कुछ अन्य ऐसे विपक्षी दलों को साधने की है। भाजपा को तीन कारणों से संविधान संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ने का हौसला मिला है। पहला,राज्यसभा में बहुमत के करीब पहुंचना;दूसरा,तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल में टूट की संभावना और तीसरा,द्रमुक और भाजपा के बीच बढ़ती करीबी।महिला आरक्षण के साथ ही परिसीमन का मुद्दा भी गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं,जो 1977 के बाद से स्थिर हैं। इंदिरा सरकार ने परिसीमन लाकर सीटें 525 से बढ़ाकर 543 कर इसे फ्रीज कर दिया था। अब जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें बढ़ाने और उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने के लिए एक साथ संविधान संशोधन जरूरी है। दक्षिण भारतीय राज्यों को चिंता है कि नई सीटों का बंटवारा उत्तर भारत के पक्ष में होगा क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक है। इसीलिए पीएम मोदी को यह आश्वासन देना पड़ा कि परिसीमन में किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। समान नागरिक संहिता भाजपा के घोषणापत्र का वह वादा है जो दशकों से लंबित है। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। केंद्र में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संविधान में संशोधन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके कुछ पहलू जैसे मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को प्रभावित करने वाले प्रावधान विधायी और सांख्यिकीय दृष्टि से संवेदनशील हैं। राज्यसभा में मजबूत बहुमत मिलने के बाद सरकार के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना राजनीतिक रूप से कहीं आसान हो जाएगा। न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोदी सरकार लंबे समय से बदलाव चाहती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक करार दे दिया था। सरकार और न्यायपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका को लेकर वर्षों से टकराव चल रहा है। राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के बाद सरकार एक बार फिर इस दिशा में संविधान संशोधन लाने का साहस जुटा सकती है। अनुच्छेद 356 अर्थात् राष्ट्रपति शासन की शर्तों को लेकर भी समय-समय पर संशोधन की मांग उठती रही है। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार,भूमि अधिग्रहण कानून और अनुच्छेद 31 से जुड़े पुराने विवाद हैं, जिन पर सरकार नए सिरे से नीति बना सकती है। आर्थिक नीतियों को अधिक लचीला बनाने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन भी एक विकल्प है,जिसमें कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाता है।हालांकि यह समझना जरूरी है कि राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत अकेले पर्याप्त नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।

फर्जी डिग्रियां और टूटता भरोसा

डॉ. सत्यवान सौरभ भिवानी,हरियाणा

भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। यद्ध ही युवा शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। देश के लाखों विद्यार्थी हर वर्ष कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं,विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षणों से गुजरते हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। परिवार अपनी बचत,समय और उम्मीदें उनकी शिक्षा पर खर्च करते हैं। लेकिन जब फर्जी डिग्रियों,पेपर लीक,नकल माफिया और शैक्षणिक भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं,तब केवल कुछ संस्थानों या व्यक्तियों की साख नहीं गिरती,बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा डगमगाने लगता है। यही कारण है कि शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता का प्रश्न आज केवल अकादमिक बहस का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। हाल के वर्षों में भारत में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विश्वविद्यालयों,कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों पर अनियमितताओं के आरोप लगे। कहीं फर्जी अंकपत्र जारी किए गए, कहीं बिना पर्याप्त पढ़ाई और मूल्यांकन के डिग्रियां बांटने की शिकायतें मिलीं, तो कहीं भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे। इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में योग्यता आधारित है या फिर उसमें ऐसे छेद पैदा हो चुके हैं जिनका लाभ उठाकर कुछ लोग अनुचित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र देना नहीं होता। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल,विवेक और जिम्मेदारी प्रदान करती है। एक डॉक्टर की डिग्री केवल एक कागज नहीं होती, बल्कि यह प्रमाण होती है कि उसने मानव जीवन की रक्षा करने योग्य ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एक इंजीनियर की डिग्री यह भरोसा देती है कि वह सुरक्षित भवन, पुल और तकनीकी संरचनाएं तैयार करने की क्षमता रखता है। एक शिक्षक की डिग्री इस बात की गारंटी मानी जाती है कि वह नई पीढ़ी को सही दिशा देने में सक्षम है।

यदि इन डिग्रियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगें तो समाज का पूरा विश्वास तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि फर्जी डिग्रियों का नुकसान केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहता जो इन्हें हासिल करते हैं। इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो मरीजों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि किसी तकनीकी पद पर अयोग्य इंजीनियर पहुंच जाए तो सार्वजनिक परियोजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यदि शिक्षा संस्थानों में अयोग्य शिक्षक नियुक्त हो जाएं तो आने वाली पीढ़ियों की बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह केवल धोखाधड़ी का मामला नहीं,बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक विश्वास का भी प्रश्न है। भारत में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ है। यह आवश्यक भी था क्योंकि करोड़ों युवाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन कई बार विस्तार की गति गुणवत्ता नियंत्रण से अधिक तेज रही। परिणामस्वरूप कुछ संस्थान केवल डिग्री वितरण केंद्र बनकर रह गए। शिक्षण,शोध,प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और प्रशिक्षित शिक्षकों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जब शिक्षा को सेवा के बजाय व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगता है,तब ऐसे संकट पैदा होना स्वाभाविक है।

पेपर लीक की घटनाओं ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। देश के विभिन्न राज्यों में समय-समय पर भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें आती रही हैं। लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे और प्रभाव के बल पर प्रश्नपत्र हासिल कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन प्रतिभाशाली युवाओं को होता है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं। उनकी मेहनत का मूल्य कम हो जाता है और उनके मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। युवा पीढ़ी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपनी योग्यता साबित करे, लेकिन यदि व्यवस्था निष्पक्ष न हो तो प्रतिभा हतोत्साहित होती है। जब किसी मेहनती छात्र को यह महसूस होने लगे कि सफलता योग्यता से नहीं बल्कि संपर्क,भ्रष्टाचार या जालसाजी से मिल सकती है, तब उसकी प्रेरणा कमजोर पड़ती है। यही स्थिति धीरे-धीरे सामाजिक असंतोष को जन्म देती है। कई प्रतिभाशाली युवा देश छोड़ने का निर्णय लेते हैं या फिर व्यवस्था से निराश होकर अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। भारत की वैश्विक पहचान लंबे समय से उसके ज्ञान और प्रतिभा पर आधारित रही है। भारतीय मूल के हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर,चिकित्सक और तकनीकी विशेषज्ञ विश्व की अग्रणी संस्थाओं में कार्यरत हैं। वे केवल अपने व्यक्तिगत करियर का निर्माण नहीं कर रहे, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे हैं। विदेशों में कार्यरत भारतीय हर वर्ष बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं,जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

3 माह से वेतन नहीं मिलने का आरोप..जनदर्शन पहुंचे विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड व स्वच्छक

ठेका एजेंसी पर श्रम कानूनों के उल्लंघन,कम वेतन भुगतान और मानसिक उत्पीडऩ के आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के भकुरा परिसर में सुरक्षा गार्ड और स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों ने ठेका एजेंसी पर तीन माह से वेतन नहीं देने,श्रम कानूनों के उल्लंघन और मानसिक उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जनदर्शन में कलेक्टर तथा श्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। ग्राम भकुरा निवासी नीरज, लोकनाथ,मुकेश पैकरा,बजरंग सिंह,शिव प्रसाद,प्रदीप कुमार,तारामुनि, श्वेता सिंह, शबनम, महेश्वरी,अंजू पैकरा सहित अन्य कर्मचारियों ने बताया कि वे संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में बाह्य स्रोत एजेंसी निर्भर इंटेलिजेंट सुपर सर्विस के माध्यम से सुरक्षा एवं स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पिछले तीन माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार के भरण-पोषण में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे निर्धारित 8 घंटे के बजाय प्रतिदिन 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है। इसके बावजूद उन्हें साप्ताहिक अवकाश और राष्ट्रीय अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बजाय मात्र 6500 रुपये प्रतिमाह नकद भुगतान किया जाता है। वेतन बैंक खाते में जमा करने के बजाय नकद दिए जाने की भी शिकायत की गई है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने ईपीएफ और ईएसआई मद में अनियमितता तथा वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 4 हजार रुपये लिए गए, लेकिन राशि लेने के बाद भी कई लोगों को काम पर नहीं रखा गया। वहीं कुछ पुराने कर्मचारियों को बिना पूर्व सूचना और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी किए सेवा से हटा दिया गया। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे वेतन या अन्य वैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। शिकायत के बाद सेवा समाप्त किए जाने की आशंका भी उन्होंने जताई है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने तीन माह का बकाया वेतन तत्काल भुगतान कराने, श्रम कानूनों के अनुसार कार्य अवधि निर्धारित करने,साप्ताहिक अवकाश बहाल करने,अतिरिक्त कार्य का नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने तथा ठेका एजेंसी की वित्तीय और प्रशासनिक जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन के अधीन कार्य करने की व्यवस्था बनाने का भी आग्रह किया है।

सड़क़-नाली और पानी की मांग को लेकर गंगापुर के लोगों ने निगम का किया घेराव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

नगर निगम क्षेत्र के गंगापुर वार्ड क्रमांक 47 स्थित भुईयांपारा के रहवासियों ने सडक़, नाली और पेयजल समस्या के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान वार्डवासियों ने नारेबाजी करते हुए महापौर को ज्ञापन सौंपा और वर्षों से लंबित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गंगापुर क्षेत्र नगर निगम सीमा में शामिल होने के बाद भी आज तक कई बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। भुईयांपारा में सडक़ और नाली का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। क्षेत्र में पेयजल और बिजली पोल से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। वार्डवासी रैली के रूप में निगम कार्यालय पहुंचे और परिसर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। महापौर मंजूषा भगत ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा की और समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान कुछ लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्यों में हो रही देरी पर सवाल उठाए। महापौर ने निगम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए सडक़ और नाली निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश बुनकर सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

पुलिस सैलरी पैकेज का सहारा...दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को मिला 10 लाख का बीमा चेक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रवि जमकातर के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिवार को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत 10 लाख रुपए की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी संगीता जमकातर को 10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। जानकारी के अनुसार रवि जमकातर सरगुजा पुलिस इकाई में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। 9 फरवरी 2026 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। निधन के बाद परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत मिलने वाली बीमा सुविधा का लाभ दिलाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल तथा भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रतीक अग्निहोत्री ने संयुक्त रूप से संगीता जमकातर को 10 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस सैलरी पैकेज योजना कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक शिरीष गीर, शाखा अधिकारी आशीष सिंह सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना शाखा के उपनिरीक्षक (एम) अभय सिंह और अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

क्या है पुलिस सैलरी पैकेज योजना? पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत पुलिस कर्मचारियों के वेतन खातों से जुड़ी विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं के साथ दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बीमा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

शराब के नशे में वाहन चलाना पड़ा भारी न्यायालय ने लगाया 31,500 रुपये का जुर्माना

यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई,मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि के बाद तीन चालकों पर हुई कार्यवाही

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने कुल 31,500 रुपये का अर्थदंड लगाया।

डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा तीन सवारी वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने तथा बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस ने वाहन जांच के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पिकअप वाहन क्रमांक CG-15-AC-3338 के चालक सत्यम साहू निवासी रामानुजनगर, वाहन क्रमांक CG-14-MF-8848 के चालक दारा सिंह निवासी रेवतपुर तथा वाहन क्रमांक CG-15-DX-0876 के चालक पवन एक्का निवासी ग्राम झींगो को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों चालकों का चिकित्सकीय परीक्षण (डाक्टरी मुलाहिजा) कराया, जिसमें उनके द्वारा शराब सेवन किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित वाहनों को जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए सत्यम साहू और दारा सिंह पर 10-10 हजार रुपये तथा पवन एक्का पर 11 हजार 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार तीनों प्रकरणों में कुल 31,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के सेवन के बाद वाहन न चलाएं। ऐसा करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि स्वयं और अन्य लोगों के जीवन को भी गंभीर खतरे में डाल सकता है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

तबीयत बिगडऩे पर अस्पताल पहुंचे डॉक्टर नहीं मिले,महिला की मौत

बरकेला स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नहीं होने का आरोप, परिजन सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम सखौली निवासी एक महिला की तबीयत बिगडऩे के बाद उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया,लेकिन वहां चिकित्सक नहीं मिलने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम सखौली निवासी बेलकसिया एक्का (56) की सोमवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। महिला की हालत खराब होते देख परिजन उसे तत्काल बरकेला स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि वहां चिकित्सक मौजूद नहीं थे। इसके बाद समय गंवाए बिना परिजन संजीवनी 108 एम्बुलेंस की मदद से महिला को मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे। अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि समय पर स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक उपलब्ध होते तो महिला को तत्काल उपचार मिल सकता था। घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेकाबू कार ने दो बाइकों को मारी टक्कर,4 घायल

सरगवां में दो अलग-अलग हादसे,दुर्घटना के बाद चालक फरार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर ग्राम सरगवां में एक बेकाबू कार ने दो अलग-अलग बाइकों को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिधमा निवासी पाकुड़ भुईया अपने रिश्तेदार शिवनारायण के साथ 6 जून को दवा लेने अंबिकापुर आए थे। शाम करीब 7 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। सरगवां गैस गोदाम के पास कार क्रमांक सीजी 15 ईए 1804 के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में जोनसाय भुईया की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। इसी कार ने सरगवां मंदिर के पास दूसरी बाइक को भी पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में प्रतापपुर निवासी गुलाम सरवर आलम और उनके दामाद परवेज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों किसी रिश्तेदार के निधन की सूचना मिलने पर अंबिकापुर आ रहे थे। दुर्घटना में गुलाम सरवर का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि परवेज को चेहरे, हाथ और पैर में चोटें आई हैं। दोनों का उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

महाराष्ट्र से चोरी हुई न्यू बोलेरो अंबिकापुर में बरामद,साइबर सेल की मदद से दबोचा गया आरोपी

नागपुर से वाहन चोरी कर भागा आरोपी, लटोरी के ढाबे में मिली बोलेरो

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण जिले के मऊदा थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक नई बोलेरो वाहन को सरगुजा पुलिस की साइबर सेल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया। वाहन चोरी के मामले में संदिग्ध आरोपी को भी पकड़कर महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, दिनांक 7 जून 2026 को नागपुर ग्रामीण के मऊदा थाना क्षेत्र में खड़ी न्यू बोलेरो वाहन क्रमांक MH-40-BE-4751 को अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गया था। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान वाहन की लोकेशन और गतिविधियों के आधार पर पुलिस टीम सरगुजा जिले के अंबिकापुर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सरगुजा साइबर सेल को मामले में सहयोग के लिए लगाया गया। साइबर सेल टीम ने तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न संभावित ठिकानों पर पतासाजी शुरू की। इसी दौरान चोरी गई बोलेरो वाहन का सुराग लटोरी क्षेत्र में मिला, जहां वाहन एक ढाबे के पास खड़ी पाई गई। सूचना मिलते ही साइबर सेल और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने ढाबे की घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके पर मौजूद संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उसे महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उससे आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साइबर तकनीक और त्वरित समन्वय के कारण चोरी के कुछ ही दिनों के भीतर वाहन बरामद करने में सफलता मिली। इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय अपराधों की जांच में तकनीकी संसाधनों और पुलिस समन्वय की अहम भूमिका एक बार फिर सामने आई है।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका : वाहन बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई में सरगुजा साइबर सेल के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक अजीत मिश्रा,प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक जीतेश साहू सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है।

सड़क हादसे में घायल ग्रामीण की मौत,इलाज पर उठा सवाल

निजी अस्पताल में एक सप्ताह भर्ती रहा मरीज बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

सडक़ दुर्घटना में घायल एक ग्रामीण की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मरीज का कई दिनों तक इलाज किया गया, लेकिन बाद में सुविधा नहीं होने का हवाला देकर दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी गई। जानकारी के अनुसार प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मानी निवासी चंद्रिका चेरवा (55) 31 मई को गांव में अपने पुराने घर की ओर पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक क्रमांक सीजी 15 ईके 0605 के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर परिजन उन्हें प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से रेफर किए जाने के बाद चंद्रिका को अंबिकापुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार करीब छह से सात दिन तक उपचार के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं होने की बात कहते हुए उन्हें अन्य अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिजन घायल को मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में यह सवाल उठ रहा है कि यदि अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं तो मरीज को इतने दिनों तक भर्ती रखकर उपचार क्यों किया गया।

मेले में नुक्कड़ नाटक से साइबर ठगी से बचने का संदेश...सरगुजा पुलिस ने लोगों को किया जागरूक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,09 जून 2026
(घटती-घटना)।

बढ़ते साइबर अपराधों के बीच आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने कला केंद्र मैदान में आयोजित मेले के दौरान व्यापक साइबर जनजागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान साइबर सेल, पुलिस मितान और साइबर वॉलंटियर्स की टीम ने नुक्कड़ नाटक, जनसंवाद और प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों से बचाव की जानकारी दी। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे लोगों ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने फर्जी बैंक कॉल, ओटीपी शेयरिंग, यूपीआई फ्रॉड, सोशल मीडिया ठगी, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग और अन्य ऑनलाइन अपराधों के तरीकों को मंचन के जरिए प्रस्तुत किया। साथ ही लोगों को बताया गया कि थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता से अधिकांश साइबर अपराधों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल और पुलिस मितान टीम ने नागरिकों से सीधे संवाद कर साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों की जानकारी दी। लोगों को सलाह दी गई कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों को सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। अभियान के दौरान नागरिकों को बताया गया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं तथा साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्ट करें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर नुकसान को रोका जा सके। पुलिस मितान टीम ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम में जनजागरूकता सबसे प्रभावी हथियार है। इसी उद्देश्य से भविष्य में भी स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और सामुदायिक कार्यक्रमों में ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे।

कार्यक्रम में साइबर सेल के अमन पुरी, महिला थाना स्टाफ, पुलिस मितान टीम की विभाश्री सिंह, खुशी कन्नौजिया, आर्यन पाण्डेय, विकेश राजवाड़े, लक्ष्मी पैकरा, रश्मि शर्मा, अनुशा राजवाड़े, मानसी राजवाड़े सहित अन्य स्वयंसेवकों की सक्रिय सहभागिता रही।

साइबर सुरक्षा के लिए पुलिस की अपील

ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें। अनजान लिंक और फर्जी निवेश योजनाओं से बचें। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी सीमित रखें। साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें। संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

सुशासन के मंच पर मेज पर पसरे पैर...दर्द पैरों में था या सत्ता के अहंकार में?

सुशासन के मंच पर सत्ता का विश्राम! जनता नीचे बैठी रही...मंत्री जी मेज पर पैर पसारते रहे...

मोरगा के सुशासन तिहार में मंत्री जी के अंदाज ने खड़े किए सवाल,जनता समस्या लेकर पहुंची थी और चर्चा पैर की मुद्रा पर अटक गई...

- जनता सुनाने आई थी दर्द,मंत्री जी दूर करते रहे अपना दर्द!
- सुशासन तिहार में शिष्टाचार हुआ लाचार,मंच पर मेज बनी 'फुटरेस्ट'
- मोरगा में सुशासन का नया मॉडल! समस्याएं नीचे,पैर ऊपर
- जनता की फरियाद और मंत्री जी का आराम, एक तस्वीर ने खड़े किए कई सवाल
- सत्ता का सुकून या शिष्टाचार का पतन? सुशासन शिविर में मेज पर पसरे पैर चर्चा में
- मंच पर मंत्री जी का 'आराम आसन', लोकतांत्रिक मर्यादा पर उठे सवाल
- मोरगा के सुशासन तिहार में मंत्री की मुद्रा बनी चर्चा का विषय विपक्ष ने बताया सत्ता का अहंकार तो समर्थकों ने कहा थकान का असर

-रवि सिंह-

एमसीबी 09 जून 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले के मोरगा में आयोजित सुशासन तिहार का उद्देश्य बड़ा पवित्र था, सरकार जनता के द्वार पहुंच रही थी, अधिकारी समस्याएं सुन रहे थे, जनप्रतिनिधि विकास का लेखा-जोखा दे रहे थे और मंच से यह संदेश दिया जा रहा था कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है,लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोगों को न तो योजनाओं की घोषणाएं ज्यादा याद रहीं और न ही विकास के दावे,चर्चा जिस बात की सबसे ज्यादा हुई, वह थी मंच पर रखी मेज और उस पर टिके मंत्री जी के पैर। प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम कार्यक्रम में पहुंचे थे, मंच पर कलेक्टर, विधायक,भाजपा पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, नीचे भीषण गर्मी में जनता बैठी थी, जो अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आई थी,लेकिन इसी बीच मंत्री जी ने सामने रखी मेज को शायद कुछ समय के लिए विश्रामगृह समझ लिया और अपने पैर उस पर टिका दिए, अब यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और फिर वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है। तस्वीर ने सवाल खड़े कर दिए और सवालों ने राजनीति को गर्म कर दिया।

जनता धूप में...सत्ता छांव में...

लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच संवाद बना रहे,लेकिन जब जनता तपती धूप में बैठी हो और मंच पर आराम का दृश्य दिखाई दे,तो तस्वीर अपने आप तुलना पैदा कर देती है,नीचे बैठे कई ग्रामीण अपनी शिकायतों के निराकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई राजस्व विवाद लेकर आया था,कोई पेंशन की समस्या लेकर, कोई आवास योजना का आवेदन लिए बैठा था,लेकिन मंच से जो तस्वीर बाहर आई,उसने कार्यक्रम की मूल भावना को पीछे धकेल दिया,यही राजनीति की विडंबना है,कई बार वर्षों का काम एक तस्वीर के पीछे छिप जाता है और कई बार एक तस्वीर वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ती।

सुशासन तिहार या आराम तिहार?

जनता सोच रही थी कि मंच पर बैठे लोग उनकी समस्याओं पर विचार कर रहे होंगे,कोई सड़क की बात करेगा,कोई बिजली की,कोई पानी की और कोई रोजगार की,लेकिन तस्वीर देखकर कुछ लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि लगता है कार्यक्रम का नाम 'सुशासन तिहार' कम और 'विश्राम तिहार' ज्यादा था,वैसे मंत्री जी की उम्र और अनुभव दोनों का सम्मान किया जाना चाहिए,लंबी यात्रा और लगातार कार्यक्रमों के कारण थकान होना स्वाभाविक है,लेकिन राजनीति में समस्या थकान नहीं,उसका सार्वजनिक प्रदर्शन बन जाता है,क्योंकि लोकतंत्र में हर तस्वीर एक संदेश देती है और कभी-कभी संदेश भाषणों से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है।

मेज आखिर होती क्या है?

आम आदमी के घर में मेज पर कभी किताब रखी जाती है,कभी भोजन और कभी जरूरी कागजात,सरकारी कार्यक्रमों में यही मेज जिम्मेदारी,निर्णय और प्रशासनिक गरिमा का प्रतीक मानी जाती है,लेकिन मोरगा के मंच पर उस दिन मेज शायद एक नए प्रयोग से गुजर रही थी,वह फाइलों की जगह कुछ देर के लिए 'पैर राहत केंद्र' बन गई,ग्रामीणों के बीच इस दृश्य को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं,किसी ने कहा मंत्री जी थक गए होंगे, किसी ने कहा पैर में दर्द होगा, तो किसी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि शायद जनता की समस्याएं इतनी लंबी थीं कि उन्हें सुनने से पहले आराम जरूरी था।

कलेक्टर और अधिकारी भी रहे मौन

इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि मंच पर मौजूद किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को यह दृश्य असहज नहीं लगा,कलेक्टर सहित सभी अधिकारी अपने स्थान पर बैठे रहे और कार्यक्रम चलता रहा, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सब इतना सामान्य था कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर सत्ता के मंच पर शिष्टाचार भी प्रोटोकॉल की फाइलों में कहीं दब गया है? प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि यदि कोई कनिष्ठ कर्मचारी किसी औपचारिक बैठक में ऐसी मुद्रा में बैठ जाए तो शायद उसे तत्काल अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया जाए, लेकिन जब मंच पर मंत्री हों तो फिर सब कुछ सामान्य मान लिया जाता है।

विपक्ष को मिला तैयार मुद्दा

राजनीति में विपक्ष अवसर नहीं खोजता, अवसर खुद उसके पास चलकर आ जाता है,इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इसे सत्ता के अहंकार से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला, विपक्ष का कहना है कि यह दृश्य जनता के प्रति असम्मान का प्रतीक है,वहीं सत्ता पक्ष के समर्थक इसे अनावश्यक विवाद बता रहे हैं, सच चाहे जो भी हो, लेकिन तस्वीर ने राजनीतिक बहस जरूर छेड़ दी है।

पैर का दर्द या व्यवस्था का संकेत?

सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि मंत्री जी ने मेज पर पैर क्यों रखा, बड़ा प्रश्न यह है कि जनता इस दृश्य को किस रूप में देखती है, यदि जनता इसे एक थके हुए वरिष्ठ नेता का मानवीय व्यवहार मानती है तो विवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा,लेकिन यदि जनता इसे सत्ता के बढ़ते आत्मविश्वास या अहंकार का प्रतीक मानती है,तो यह तस्वीर लंबे समय तक चर्चा में बनी रह सकती है,राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है और नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती भी यही होती है।

सुशासन की असली परीक्षा

सुशासन केवल योजनाओं, घोषणाओं और शिविरों से नहीं बनता,सुशासन का आधार व्यवहार,संवेदनशीलता और जनता के प्रति सम्मान है, जनता यह नहीं देखती कि मंच पर कौन कितना बड़ा नेता है, बल्कि यह देखती है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है,मोरगा के सुशासन तिहार की यह तस्वीर अब एक प्रतीक बन चुकी है,कोई इसे थकान कह रहा है,कोई असावधानी और कोई अहंकार, लेकिन इतना तय है कि जिस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं को केंद्र में लाना था,वहां चर्चा का केंद्र जनता नहीं बल्कि मेज पर रखे गए पैर बन गए,और लोकतंत्र में इससे बड़ा व्यंग्य शायद क्या होगा कि जनता अपनी समस्या लेकर पहुंची थी, लेकिन सुर्खियां मंत्री जी के 'आराम' को मिल गईं।

खबर का असर : पशु चिकित्सालय खड़गवां की बदहाली पर प्रशासन सख्त,बीवीएओ से मांगा गया स्पष्टीकरण

'घटती घटना' की खबर के बाद हरकत में आया विभाग,अनुपस्थिति और लापरवाही पर जवाब-तलब

चपरासी के भरोसे चल रहा अस्पताल की खबर से मचा हड़कंप, दो दिन में मांगा जवाब, अब रोज भेजनी होगी जियो-टैग फोटो

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां (एमसीबी),09 जून 2026 (घटती-घटना)।

विकासखंड मुख्यालय खड़गवां स्थित पशु चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्था, चिकित्सकों की कथित अनुपस्थिति और पशुपालकों को हो रही परेशानियों को लेकर प्रकाशित समाचार का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है,समाचार पत्र घटती-घटना में प्रमुखता से प्रकाशित खबर 'कैबिनेट मंत्री के गृह क्षेत्र में बदहाल पशु चिकित्सालय,चपरासी के भरोसे चल रही व्यवस्था' के बाद पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जारी पत्र में विकासखंड खड़गवां में पदस्थ पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. जितेंद्र पाल कंवर को नोटिस जारी कर समाचार में प्रकाशित तथ्यों पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय पत्र में उल्लेख किया गया है कि समाचार में अस्पताल में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के नियमित रूप से अनुपस्थित रहने तथा निर्धारित समय के अनुरूप अस्पताल संचालन नहीं होने की जानकारी सामने आई थी, जिससे पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

दो दिनों के भीतर मांगा गया तथ्यात्मक जवाब-विभागीय पत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे दो दिनों के भीतर समस्त तथ्यों सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, विभाग की इस कार्रवाई को मामले में पहली बड़ी प्रशासनिक प्रतिक्रिया माना जा रहा है।

अब रोजाना भेजनी होगी जियो-टैग फोटो- मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने अस्पताल की नियमित निगरानी के लिए नया आदेश भी जारी किया है, आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारी को अस्पताल खुलने और बंद होने के समय की जियो-टैग फोटो प्रतिदिन विभागीय व्हाट्सएप समूह में साझा करनी होगी, यदि किसी दिन फोटो उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उसे अनुपस्थिति माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

समाचार में उठाए गए थे गंभीर सवाल

प्रकाशित समाचार में ग्रामीणों और पशुपालकों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल में अक्सर डॉक्टर और जिम्मेदार कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं,कई बार पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते, ग्रामीणों का कहना था कि पशु स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शासन द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं,लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं,समाचार में यह भी सवाल उठाया गया था कि जब क्षेत्र में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है,तब पशु चिकित्सालय जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अनदेखी आखिर किसकी जिम्मेदारी है? यही वजह रही कि खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग को तत्काल संज्ञान लेना पड़ा।

कार्रवाई होगी या फिर फाइलों में सिमट जाएगा मामला?

विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगना और निगरानी व्यवस्था लागू करना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, हालांकि क्षेत्र के पशुपालकों और ग्रामीणों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि जांच और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाता है,फिलहाल इतना तय है कि एक समाचार ने विभाग को जवाबदेह बनने के लिए मजबूर किया है और खड़गवां पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर अब पहले से कहीं अधिक नजर रखी जाएगी, आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि विभाग की सख्ती केवल नोटिस तक सीमित रहती है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाती है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैयाथान जिला-सूरजपुर,छ.ग.

रा0प्र0क्र0 / अ-6 / 2025-26

ईश्तहार

आमजनता / ग्रामीणजनको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक रामनारायण आ. स्व. हिमांचल उम्र लगभग 42 वर्ष जाति तेली व अन्य 07 निवासी ग्राम ठाड़पाथर तहसील बिहारपुर जिला- सूरजपुर छ.ग. में आवेदकगण के एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पुराना खसरा नम्बर 196, 197, 198 रकबा क्रमशः 0.379, 0.012 0.069 जिसका- वर्तमान खसरा नम्बर 197 रकबा 0.46 हे ग्राम ठाढ़पाथर, रा.नि.म. बिहारपुर तहसील बिहारपुर जिला सूरजपुर में स्थित है। उपरोक्त दर्शित भूमि आवेदकगण की पूर्वजीय भूमि है जो आवेदकगण के पूर्वज स्व. समयलाल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त दर्शित भूमि को बतौर उत्तराधिकार में प्राप्त कर शांति पूर्वक काबिज दाखिल हैं। आवेदकगण के द्वारा जब माह जनवरी 2026 में अपने स्वत्व की भूमि को ऑनलाईन कम्प्यूटर के माध्यम से बी-1 प्राप्त किये तब उन्हें इस तथ्य की जानकारी हुई कि उपरोक्त् दर्शित भूमि कम्प्यूटर अभिलेखों में खाता क्रमांक 455 में खसरा नम्बर 197 रकबा 0.46 हे. भूमि अनावेदकगण के नाम पर दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्ज है। उक्त भूमि पर अनावेदकगण का किसी भी प्रकार का स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त नहीं है और न ही यह उक्त भूमि पर काबिज ही रहा है। यहाँ तक कि राम पिता श्याम नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम ठाढ़पाथर में निवासरत नहीं है। उपरोक्त भूमि त्रुटिपूर्ण ढंग से अनावेदकगण के नाम से दर्ज कर दिये जाने से आवेदकगण को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आवेदकगण राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि को सुधार कराकर उपरोक्त् दर्शित भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.46 है. अपने नाम से दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115 छ. ग. भु. रा. संहिता प्रस्तुत् करने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया है।

अतः उपरोक्तभूमि के संबंध में सुधार किये जाने से किसी हितबद्ध पक्षकार / व्यक्ति को आपत्ति हो तो वे स्वंय अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकरण में नियत दिनांक 16/06/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा । एवं तद्अनुसार कार्यवाही कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

दिनांक 04.06.2026
स्थान- बिहारपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0)
सील

श्रद्धापूर्वक मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

गंगापुर खुर्द वार्ड क्रमांक 47 में मुंडा समाज द्वारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 126वीं पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष देवरत्न मुंडा, परमानंद मुंडा, पूर्व पार्षद बल्केश्वर तिर्की तथा उरांव समाज के अध्यक्ष जगेश्वर भगत सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्षपूर्ण जीवन, जनजातीय समाज के उत्थान में उनके योगदान तथा अंग्रेजी शासन के खिलाफ किए गए संघर्ष को याद किया। उन्होंने समाज के लोगों से उनके आदर्शों पर चलने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अर्जुन मुंडा, सोनू मुंडा, राम प्रताप मुंडा, शंभू मुंडा, कुलदीप मुंडा, शिवनाथ मुंडा, मनोज मुंडा, सुरेश मुंडा, संतोष मुंडा, रमेश मुंडा, गोपाल मुंडा, ननकू मुंडा, गोपी मुंडा, हरि मुंडा, बडक़ू यादव सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। वहीं चायमनी मुंडा, सुजाता मुंडा, सोनिया मुंडा, बिंदु मुंडा, स्मिता मुंडा, रानी मुंडा, रीना मुंडा एवं शिमला मुंडा सहित महिलाओं ने आरती एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका ना0बा0 तन्मय गुप्ता द्वारा अनिल कुमार गुप्ता आ0 / पति अनिल कुमार गुप्ता जाति केशरवानी, निवासी संगम चौक, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर-3 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 830 / 5 रकबा 0.04$^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3. 2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/ आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 01.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सुनीता सोनी आ0 / पति शंकर प्रसाद सोनी जाति निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर - 2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 638/6, 639/4, 641/3 रकबा 0.041/2, 0.02, 0.01/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक:- 01.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सुनीता सोनी आ0/पति शंकर प्रसाद सोनी जाति निवासी नेहरू वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला ङ्क सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 638/10 रकबा 0.04 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 17.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 01.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक /आवेदिका फरीद खान आ0/पति स्व0 रज्जब खान जाति मुसलमान, निवासी मोमिनपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-इमलीपारा, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2967/1,2972/1, 2972/2 रकबा 0.002, 0.004, 0.012 हे0 भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3. 2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 30.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 08.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

कार्यालय तहसीलदार लखनपुर, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

दिनांक - 31/05/2026

प्रति

समस्त ग्रामवासी
ग्राम कोसंगा
तहसील लखनपुर

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि बुदेला आ. बालमुकुंद तहसील लखनपुर के द्वारा अपने बाबा भगतराम की मृत्यु दिनांक 12.07.2009 को मृत्यु हो जाने से जन्म/मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ0ग0जन्म/मृत्य रजि0 नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनांक 15/06/2026 को सुनवाई की जानी है ।

आवेदक/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से पेशी दिनांक 25/05/2026 तक इस न्यायालय मे आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा/आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा ।

आज दिनांक 30/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गंया ।

सील — तहसीलदार लखनपुर,सरगुजा

न्यायालय नायग तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 ब/121 वर्ष
ग्राम - कुसमूसी

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामनरेश पिता स्व0 मानसाय जाति गोंड निवासी ग्राम कुसमूसी प.ह.न. 11 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व0 मानसाम का मृत्यु दिनांक 01/02/2009 को ग्राम कुसमूसी में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है? आवेदक अपने पिता स्व0 मानसाय का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमूसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 25/06/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी भैयाथाना,जिला-सूरजपुर

जंगल जलते रहे, पौधे गिनते रहे साहब!

विश्व पर्यावरण दिवस पर 4 हजार पौधों का महाउत्सव, लेकिन आग में झुलसे हजारों पेड़ों की गिनती कौन करेगा?

कोरिया वन विभाग की हरियाली वाली फोटो और धुएं से काली हुई हकीकत के बीच फंसा पर्यावरण

राजन पाण्डेय

कोरिया,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

विश्व पर्यावरण दिवस आया,सरकारी गाड़ियों के काफिले निकले,अधिकारियों ने दस्ताने पहने, फावड़े चले,पौधे लगाए गए,कैमरे चमके, सोशल मीडिया पर पोस्टें डाली गईं और फिर यह घोषणा कर दी गई कि कोरिया वन मंडल ने लगभग 4 हजार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

अब इस घोषणा को सुनकर कोई भोला-भाला नागरिक यह समझ सकता है कि कोरिया जिले में हरियाली का नया युग शुरू हो गया है, जंगल झूम उठे होंगे,पक्षियों ने स्वागत गीत गाए होंगे और प्रकृति ने वन विभाग को धन्यवाद पत्र भेज दिया होगा,लेकिन अगर कोई नागरिक घुघरा,मेण्ड्रा,रामगढ़ और उन जंगलों की तरफ निकल जाए जहां कुछ ही महीने पहले आग ने हजारों पौधों और सैकड़ों पेड़ों को निगल लिया था,तो उसे पता चलेगा कि पर्यावरण दिवस और पर्यावरण की वास्तविक स्थिति में उतना ही अंतर है जितना चुनावी वादों और धरातल की सच्चाई में होता है,वन विभाग ने 4 हजार पौधे लगाए हैं,यह अच्छी बात है,लेकिन जनता पूछ रही है कि इस साल गर्मी में जो हजारों पौधे और सैकड़ों बड़े पेड़ आग में जल गए,उनकी भरपाई का हिसाब किस खाते में दर्ज किया गया है? क्या उन पेड़ों की मृत्यु का शोक संदेश भी कभी जारी होगा या फिर सरकारी फाइलों में उनकी राख भी हरियाली घोषित कर दी जाएगी?

ठकोरिया जिले के सोनहत-बैकुंठपुर मुख्य मार्ग स्थित घुघरा जंगलों में इस वर्ष भीषण आग लगी थी,आग इतनी भयावह थी कि दूर-दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था,बड़े-बड़े पेड़ जल गए,हजारों छोटे पौधे स्वाहा हो गए, वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया और जंगल कई किलोमीटर तक काला पड़ गया,लेकिन आश्चर्य देखिए,जंगल जल गया, पर जिम्मेदारी नहीं जली, पेड़ राख हो गए,लेकिन किसी अधिकारी की कुर्सी पर धूल तक नहीं जमी,वन विभाग के किसी परिक्षेत्राधिकारी,किसी डिप्टी रेंजर या किसी बीट गार्ड की जवाबदेही तय नहीं हुई,किसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर नहीं आई,ऐसा लगा जैसे जंगल स्वयं जलने के लिए पैदा हुए थे और विभाग का उनसे कोई संबंध ही नहीं था, पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाते हुए अधिकारी यह जरूर बता रहे हैं कि पेड़ जीवन हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब जीवन जल रहा था तब विभाग कहां था?

जनता पूछ रही है,जवाब कौन देगा?

आज कोरिया जिले की जनता कुछ सरल प्रश्न पूछ रही है, जब घुघरा जंगल जला तो जिम्मेदार कौन था? जब मेण्ड्रा के जंगल धधके तो कार्रवाई किस पर हुई? जब लकड़ी तस्करी के मामले सामने आए तो मुख्य आरोपी कौन थे? जब हजारों पौधे आग में जल गए तो उनकी भरपाई का आकलन किसने किया? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल–जब पहले से खड़े लाखों पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो नए लगाए गए 4 हजार पौधों का भविष्य क्या होगा?

पर्यावरण दिवस का असली अर्थ याद रखना होगा...

पर्यावरण दिवस मनाना बुरा नहीं है, पौधे लगाना भी आवश्यक है, लेकिन यदि जंगल जलते रहें और हम केवल पौधे गिनते रहें, तो यह पर्यावरण संरक्षण नहीं,पर्यावरण प्रबंधन का अभिनय कहलाएगा,सच्चाई यह है कि एक सौ साल पुराना पेड़ एक दिन में नहीं बनता। लेकिन वह कुछ घंटों की आग में खत्म हो सकता है,इसलिए पर्यावरण बचाने की शुरुआत नए पौधे लगाने से पहले पुराने जंगलों को बचाने से होती है, कोरिया जिले में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि वन विभाग 4 हजार पौधों की सफलता का उत्सव मना रहा है,लेकिन आग में झुलसे जंगलों की असफलता की जिम्मेदारी आखिर कौन स्वीकार करेगा? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक पर्यावरण दिवस की हर तस्वीर के पीछे धुएं से काला पड़ा जंगल खड़ा दिखाई देता रहेगा, मानो वह पूछ रहा हो– **साहब, मुझे बचाने की बारी कब आएगी?**

वन्यजीवों की पीड़ा पर कौन बोलेगा ?

जब जंगल में आग लगती है तो केवल पेड़ नहीं जलते, घोंसले जलते हैं, अंडे जलते हैं,छोटे जीव जलते हैं,सांप,खरगोश,नेवले, सियार,पक्षी और अनगिनत वन्य प्राणी अपने घर खो देते हैं,लेकिन हर साल आग की घटनाओं के बाद चर्चा केवल पौधों और हेक्टेयर क्षेत्र की होती है,वन्यजीवों के नुकसान का वास्तविक आकलन शायद ही कभी सामने आता है, जंगल का दर्द सिर्फ पेड़ों का दर्द नहीं होता,वह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का दर्द होता है।

जंगलों में आग लगी थी, लेकिन विभाग 'मार्च क्लोजिंग' बचा रहा था...

इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और दुखद अध्याय वह है जब जंगल धधक रहे थे और वन विभाग का बड़ा हिस्सा दफ्तरों में बैठकर मार्च क्लोजिंग के आंकड़ों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था, एक तरफ जंगलों में आग दौड़ रही थी, दूसरी तरफ फाइलों में आंकड़े दौड़ रहे थे,एक तरफ पक्षी अपने घोंसले छोड़ रहे थे, दूसरी तरफ अधिकारी बजट की अंतिम प्रविष्टियां पूरी कर रहे थे,ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जंगल बचाने से ज्यादा जरूरी हिसाब-किताब बचाना था,स्थानीय लोगों और मीडिया ने लगातार खबरें प्रकाशित कीं। धुएं से भरे जंगलों की तस्वीरें सामने आईं,लेकिन जिस तेजी से आग फैल रही थी, उस तेजी से विभागीय जिम्मेदारी कहीं दिखाई नहीं दी।

विश्व पर्यावरण दिवस का गणित, 4000 पौधे लगाए,लेकिन कितने पेड़ बनेंगे ?

वन विभाग ने लगभग 4 हजार पौधे लगाने का दावा किया है, अब असली सवाल शुरू होता है, इन 4 हजार पौधों में से कितने जीवित रहेंगे? 4000? 1000? 400? या फिर 40? कोरिया जिले की जनता इस गणित को समझती है,वह जानती है कि पौधे लगाना आसान है,उन्हें बचाना कठिन है,पौधारोपण कार्यक्रम के दिन पानी की बोतल लेकर पौधे के पास खड़ा होना आसान है,लेकिन अगले तीन वर्षों तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे कठिन काम है,हर साल पौधे लगाए जाते हैं, हर साल रिपोर्ट बनती है,हर साल आंकड़े भेजे जाते हैं, लेकिन कितने पौधे पेड़ बने,इसकी सार्वजनिक समीक्षा शायद ही कभी होती है,कई बार तो पौधे इस तरह लगाए जाते हैं जैसे किसी कार्यक्रम की सजावट का हिस्सा हों, कार्यक्रम खत्म,फोटो खत्म,पौधे खत्म,लेकिन बजट हमेशा जीवित रहता है।

रामगढ़ पार्क : भाषणों की हरियाली और जमीन की कालिख...

गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के पार्क परिक्षेत्र रामगढ़ में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया,पौधे लगाए गए, ग्रामीणों को संदेश दिए गए,रेंजर राजा राम ने कहा कि जीवन और पेड़ दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं,बात बिल्कुल सही है,लेकिन समस्या यह है कि मंच से बोले गए शब्द और जंगल की वास्तविक स्थिति एक-दूसरे से मेल नहीं खाते,इसी वर्ष मेण्ड्रा बैरियर के पास मुख्य सड़क किनारे भीषण आग लगी थी,जंगल के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ, हजारों छोटे पौधे और अनेक बड़े पेड़ जल गए,लेकिन उस घटना के बाद भी कोई बड़ी जवाबदेही तय नहीं हुई, दौरे हुए, निरीक्षण हुए, रिपोर्टें बनीं,फोटो खिंचीं,और फिर मामला ठंडा पड़ गया,यह वही पुरानी सरकारी परंपरा है जिसमें घटना बड़ी होती है,बयान उससे भी बड़ा होता है और कार्रवाई सबसे छोटी होती है।

लकड़ी तस्करी: जंगलों का दूसरा दुश्मन

अगर आग जंगलों की एक समस्या है तो अवैध कटाई दूसरी बड़ी समस्या है,सूत्र बताते हैं कि कुछ समय पहले वन विभाग ने अवैध लकड़ियों से भरा एक ट्रक पकड़ा था,मामला काफी चर्चित रहा। विवाद हुआ, चर्चाएं हुईं, लेकिन बाद में आरोप लगे कि कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई,जनता का सवाल सीधा है,यदि लकड़ी तस्कर इतने कमजोर हैं तो फिर जंगल कट क्यों रहे हैं? और यदि वे इतने ताकतवर हैं कि कार्रवाई उन तक नहीं पहुंचती,तो फिर वन सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जंगल केवल आग से नहीं खत्म होते,वे कुल्हाड़ियों,ट्रकों और संरक्षण के नाम पर चल रही चुप्पियों से भी खत्म होते हैं।

पर्यावरण संरक्षण या फोटो संरक्षण ?

आजकल सरकारी कार्यक्रमों में एक नई परंपरा विकसित हो चुकी है, पहले पौधा लगाया जाता है,फिर उसके साथ फोटो खिंचवाई जाती है, फिर फोटो सोशल मीडिया पर डाली जाती है, फिर उसे पर्यावरण संरक्षण घोषित कर दिया जाता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण कैमरे से नहीं होता,यदि ऐसा होता तो देश के सभी जंगल अब तक सुरक्षित हो चुके होते,असल संरक्षण तब होता है जब जंगल में लगी आग को समय रहते बुझाया जाए, जब अवैध कटाई रोकी जाए, जब फायर वाचर अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जब अधिकारी फाइलों से निकलकर जंगलों तक पहुंचें, जब पौधे सिर्फ लगाए न जाएं बल्कि पेड़ बनने तक संरक्षित किए जाएं।

घटिया निर्माण और हरा भ्रष्टाचार

वन विभाग के निर्माण कार्यों को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं,तालाब,स्टॉप डैम,रपटा,कूप निर्माण, बैरियर और अन्य विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं,लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कई निर्माण पहली बारिश में ही अपनी असलियत दिखाने लगते हैं,स्थिति ऐसी है कि कुछ निर्माण कार्यों को देखकर लगता है कि उनका निर्माण वर्षों के लिए नहीं,भुगतान निकलने तक के लिए किया गया था,यदि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं,तो उनकी गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच भी उतनी ही आवश्यक है, अन्यथा पर्यावरण भी कागजों में सुरक्षित रहेगा और निर्माण भी।

संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर पहुंचाने पर हुआ मंथन

भाजपा सोनहत मंडल की 'आत्मनिर्भर भारत' मासिक बैठक संपन्न

-संवाददाता-
सोनहत (कोरिया),09 जून 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी सोनहत मंडल की मासिक बैठक 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत सामुदायिक भवन सोनहत में आयोजित की गई, बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने,केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का माहौल पूरी तरह संगठनात्मक ऊर्जा और कार्यकर्ता उत्साह से परिपूर्ण रहा, भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं और भाजपा हमेशा कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में कार्य करती रही है। इसी कारण पार्टी गांव-गांव और घर-घर तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हुई है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राजाराम राजवाड़े ने की, कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा जिला मंत्री शिव कुमारी सोनपाकर तथा जनपद पंचायत अध्यक्ष आशा देवी सोनपाकर विशेष रूप से उपस्थित रहीं, वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है,केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

युवा,किसान और वनांचल विकास पर हुई चर्चा

बैठक में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने, किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने तथा वनांचल क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल विकास कार्य करना नहीं बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है,इसके लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देनी होगी,बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने,नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर भी रणनीति बनाई गई।

जिले और मंडल स्तर के नेताओं की रही उपस्थिति

सामुदायिक भवन सोनहत में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, इनमें प्रमुख रूप से युवा मोर्चा जिला महामंत्री मनोज साहू, भाजपा मंडल महामंत्री सुरेश राजवाड़े,बाल कृष्ण देवांगन,भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेश साहू, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला संयोजक डॉ. भुवन साहू,सहकारिता प्रकोष्ठ जिला सहसंयोजक सुरेश तिवारी, मछुआरा प्रकोष्ठ जिला सहसंयोजक ओम प्रकाश काशी, एसटी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शाहदुर, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिलीप यादव, एसटी मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष अमर साय सेलर, भाजपा मंडल मंत्री एवं जनपद सदस्य आलेश्वरी अनिल गौतम तथा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी राजवाड़े शामिल रहीं।

कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह,संगठन विस्तार का लिया संकल्प-

बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, कार्यक्रम में अनुज राजवाड़े,अरविंद राजवाड़े,राधेश्याम साहू,सरिता राजवाड़े,रामू राजवाड़े,दिनेश सोनपाकर,रोशन यादव,संजय मानिकपुरी, रामकुशल राजवाड़े, अनिल गौतम,उमा राजवाड़े, दीपक राजवाड़े, राजू साहू, देवब्रत गिरी, अश्वनी पड़वार,कृष्णा राजवाड़े,सुभाष सोनपाकर, संतोष साहू, रामप्रकाश साहू,गोविंद राजवाड़े,योगेश्वर राजवाड़े, मंगलू जी तथा संजय राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

13 को उमड़ेगा एनएचएम कर्मियों का महाकुंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि,18 हजार से अधिक कर्मचारी और अधिकारी सपरिवार होंगे शामिल

-संवाददाता-
सूरजपुर/रायपुर,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ द्वारा 13 जून 2026 को रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है, इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेशभर से 18 हजार से अधिक एनएचएम कर्मचारी एवं अधिकारी अपने परिवार सहित शामिल होंगे, महासम्मेलन को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं तथा कर्मचारियों में विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इस महासम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमण सिंह, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल सहित विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं एनएचएम कर्मचारी

संघ के पदाधिकारियों के अनुसार प्रदेशभर के ग्रामीण एवं शहरी उप-स्वास्थ्य केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों,मंत्रालय तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत एनएचएम कर्मचारी एवं अधिकारी इस महासम्मेलन में भाग लेंगे,कोविड काल से लेकर वर्तमान तक स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे में यह महासम्मेलन उनके समर्पण, संगठनात्मक एकता और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री की सहमति से बढ़ा उत्साह

संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर उन्हें महासम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया, जिसके बाद प्रदेशभर के एनएचएम कर्मचारियों में उत्साह और बढ़ गया है।

ऐतिहासिक आयोजन की ओर बढ़ते कदम

संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने बताया कि मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत होगी, उन्होंने कहा कि महासम्मेलन की लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा यह आयोजन एनएचएम कर्मचारियों की संगठनात्मक शक्ति और एकजुटता का ऐतिहासिक प्रदर्शन साबित होगा।

सूरजपुर से भी पहुंचेगा बड़ा प्रतिनिधिमंडल

एनएचएम संघ सूरजपुर के जिलाध्यक्ष बृजलाल पटेल ने बताया कि जिले के सभी एनएचएम कर्मचारी अपने परिवार सहित महासम्मेलन में शामिल होंगे,उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर जिले के कर्मचारियों में विशेष उत्साह है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

प्रदेशभर की निगाहें 13 जून पर...

रायपुर में आयोजित होने वाला यह महासम्मेलन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं,बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हजारों कर्मचारियों की एकजुटता का प्रतीक बनने जा रहा है,13 जून को बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में एनएचएम परिवार की यह विशाल उपस्थिति निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगी।

-रवि सिंह-

कोरिया,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में गिनी जाती है, इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर गरीबों को छत देने का दावा करती है, लेकिन जब इसी योजना में पात्र और अपात्र की परिभाषा शिकायत के बाद बदलने लगे, तब सवाल सिर्फ एक हितग्राही पर नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर खड़े होने लगते हैं, कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से सामने आया मामला अब सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली,सर्वे प्रक्रिया, जांच तंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिन्ह बन गया है।

पीएमओ तक पहुंची शिकायत,शुरू हुआ पूरा विवाद

मामले की शुरुआत तब हुई जब बैकुंठपुर निवासी प्रकाश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय की शिकायत निवारण प्रणाली सीपीग्राम्स में शिकायत दर्ज कराई, शिकायत क्रमांक PMOPG/E/2026/0077588 में आरोप लगाया गया कि जनपद पंचायत बैकुंठपुर क्षेत्र क्रमांक-17 के जनपद सदस्य रंजीत प्रसाद मंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ प्राप्त किया जबकि वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि आवास निर्माण पुराने भवन की छत पर किया गया और योजना की राशि का दुरुपयोग हुआ, मामले को गंभीर मानते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) संचालनालय, नवा रायपुर ने 2 जून 2026 को कलेक्टर कोरिया को पत्र जारी कर सात दिवस के भीतर नियमानुसार कार्रवाई और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

कार्रवाई केवल हितग्राही पर या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यही है,यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो क्या केवल लाभार्थी ही दोषी है? जिस कर्मचारी ने सर्वे किया,जिस अधिकारी ने पात्रता सूची तैयार की,जिसने सत्यापन किया,जिसने अनुमोदन किया,जिसने भुगतान जारी किया, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि किसी भी सरकारी योजना में भुगतान एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद होता है, यदि प्रक्रिया में त्रुटि हुई है तो जवाबदेही भी उसी अनुपात में तय होनी चाहिए।

आदिवासी भूमि कब्जे के आरोपों ने बढ़ाई मुश्किलें...

मामला केवल प्रधानमंत्री आवास योजना तक सीमित नहीं है,एसडीएम बैकुंठपुर न्यायालय द्वारा 20 फरवरी 2026 को जारी आदेश में ग्राम खोड़, तहसील पटना की भूमि से संबंधित विवाद का उल्लेख है,शिकायत के आधार पर कुछ व्यक्तियों को निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे, राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में भूमि खसरा नंबर 269/4 और 269/5 से संबंधित स्थिति का उल्लेख करते हुए आदिवासी भूमि पर कब्जे और निर्माण संबंधी बिंदुओं का परीक्षण किया गया,प्रतिवेदन में भूमि स्वामित्व, कब्जे और निर्माण गतिविधियों को लेकर कई तथ्य दर्ज किए गए हैं,यही कारण है कि मामला अब केवल आवास योजना तक सीमित न रहकर राजस्व और भूमि विवाद से भी जुड़ गया है।

95 हजार रुपये की रिकवरी का आदेश

मामले की जांच पहले ही जनपद पंचायत बैकुंठपुर स्तर पर हो चुकी थी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर द्वारा 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश में रंजीत मंडल को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त 95,000 रुपये की राशि एक माह के भीतर वापस जमा करने के निर्देश दिए गए, आदेश में उल्लेख किया गया कि जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार हितग्राही के पास पहले से पक्का मकान उपलब्ध था,जांच में यह भी उल्लेख किया गया कि उनकी पत्नी शासकीय सेवा से जुड़ी थीं तथा परिवार की आर्थिक स्थिति योजना की पात्रता के अनुरूप नहीं पाई गई,इसी आधार पर उन्हें अपात्र मानते हुए राशि वसूली योग्य घोषित किया गया।

सबसे बड़ा सवाल- अगर अपात्र थे तो पात्र किसने बनाया?

यहीं से पूरा मामला दिलचस्प और गंभीर दोनों हो जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी व्यक्ति को लाभ देने से पहले लंबी प्रक्रिया होती है,सर्वे होता है,पात्रता सूची तैयार होती है,ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन होता है,जनपद पंचायत और संबंधित विभागों द्वारा परीक्षण किया जाता है,फिर स्वीकृति और भुगतान होता है, ऐसे में यदि आज यह कहा जा रहा है कि रंजीत मंडल के पास पुराना पक्का मकान था,चार पहिया वाहन था, स्कूटी और मोटरसाइकिल थी,उनकी पत्नी नर्स के पद पर कार्यरत थीं और लगभग पांच लाख रुपये का व्यवसाय भी था,तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह सारी जानकारी भुगतान से पहले दिखाई क्यों नहीं दी? क्या सर्वे गलत हुआ? क्या जांच प्रतिवेदन गलत तैयार हुआ? क्या पात्रता सूची में नाम शामिल करते समय नियमों की अनदेखी हुई? या फिर किसी स्तर पर जानबूझकर आंखें बंद कर ली गईं?

शिकायत नहीं होती तो क्या कार्रवाई होती?

यह सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है,यदि शिकायतकर्ता प्रधानमंत्री कार्यालय तक मामला नहीं पहुंचाता,यदि सीपीग्राम्स पोर्टल में शिकायत दर्ज नहीं होती,यदि जांच नहीं होती,तो क्या यह मामला सामने आता? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मामलों में शिकायत होने तक सब कुछ नियमों के अनुरूप माना जाता है,लेकिन शिकायत के बाद अचानक वही हितग्राही अपात्र घोषित हो जाता है,यदि ऐसा है तो फिर यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं बल्कि पूरे सत्यापन तंत्र की विफलता है।

गरीबों का हक किसने छीना?

प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे संवेदनशील पहलू यही है कि यदि किसी अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलता है तो उसका सीधा नुकसान किसी पात्र गरीब परिवार को होता है,संभव है कि कोई वास्तविक गरीब परिवार सूची से बाहर रह गया हो और उसके हिस्से का लाभ किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया हो,यही वह बिंदु है जहां भ्रष्टाचार,लापरवाही और प्रशासनिक विफलता की आशंकाएं जन्म लेती हैं।

अब निगाहें प्रशासन पर...

फिलहाल मामला विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। प्रधानमंत्री कार्यालय की शिकायत, जनपद पंचायत का रिकवरी आदेश, राजस्व विभाग की जांच और भूमि विवाद से जुड़े दस्तावेज इस पूरे प्रकरण को गंभीर बना रहे हैं,अब जनता की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई केवल 95 हजार रुपये की रिकवरी तक सीमित रहेगी या फिर उन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी जिन्होंने एक व्यक्ति को पात्र घोषित कर योजना का लाभ दिलाया, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल आज भी अनुत्तरित है जब रंजीत मंडल आज अपात्र हैं, तो कल उन्हें पात्र किसने बनाया था? और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक यह मामला सिर्फ एक जनपद सदस्य का नहीं,बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का मामला बना रहेगा।

कोरबा पुलिस की बड़ी उपलब्धि,150 गुम मोबाइल फोन ढूंढकर स्वामियों को सौंपे

-संवाददाता-

कोरबा,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

जिले में आम नागरिकों की सुरक्षा और पुलिस पर भरोसे को और मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे सजग कोरबा, सतर्क कोरबा अभियान के तहत कोरबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में साइबर पुलिस थाना कोरबा की टीम ने तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए 150 गुम मोबाइल फोनों को बरामद किया है। इन मोबाइलों की कुल अनुमानित कीमत लगभग छब्बीस लाख बासठ हजार चार सौ दस रुपये है। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नीतिश ठाकुर और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में साइबर टीम ने सक्रियता दिखाई। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक ललित चंद्रा और उप निरीक्षक अजय सोनवानी की टीम ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी सी.ई.आई.आर. पोर्टल की मदद ली। टीम ने कड़ी मेहनत कर विभिन्न जिलों और राज्यों से इन गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस किया। बरामद किए गए मोबाइलों में एप्पल,सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी और वनप्लस जैसी कंपनियों के महंगे फोन शामिल हैं। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर नागरिकों के चेहरों पर खुशी देखी गई। लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका कीमती फोन वापस मिल पाएगा,लेकिन कोरबा पुलिस के प्रयासों ने उनका विश्वास और बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि कोरबा पुलिस द्वारा पिछले पांच महीनों में 300 से अधिक गुम मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुंचाए जा चुके हैं। पुलिस की इस पहल को आम जनता खूब सराह रही है। कोरबा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी का मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए, तो तुरंत सी.ई.आई.आर. पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें अथवा नजदीकी थाना या साइबर सेल को सूचना दें। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत 1930 डायल करें और अपनी शिकायत साइबर क्राइम की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज कराएं।

असामाजिक तत्वों ने ट्रांसपोर्टर के चारपहिए को किया आग के हवाले

-संवाददाता-

कोरबा,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

कोरबा जिले में असामाजिक तत्वों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक्या बीती रात सामने आयी है,जब कुछ उपद्रवियों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पोड़ी बहार इलाके में घर के बाहर खड़ी एक थार गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। देर रात हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार,पोड़ी बहार स्थित शारदा विद्या निकेतन स्कूल के पास रहने वाले आशीष सिंह चौहान की थार कार सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 12.20 बजे घर के बाहर खड़ी थी,इसी दौरान अज्ञात लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और गाड़ी पूरी तरह से जल गई। यह पूरा वाक्या पास मे लगे सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

सुशासन तिहार के अंतिम शिविर में मंत्री रामविचार नेताम का संदेश

कोदो-कुटकी,दलहन-तिलहन अपनाएं,बढ़ाएं किसानों की आय

तरगंवा शिविर में उमड़ा ग्रामीणों का जनसैलाब,हितग्राहियों को मिली योजनाओं की सौगात,नशामुक्त और टीबी मुक्त कोरिया का लिया गया संकल्प, 'सफईता भैया' और 'सफइतिन दीदी' बने स्वच्छता अभियान के नए चेहरे...

-संवाददाता-

कोरिया,09 जून 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर आयोजित राज्यव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत सोमवार को बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम तरगंवा में जिले का अंतिम जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया,शिविर में लगभग 20 गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम उपस्थित रहे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से पारंपरिक धान उत्पादन के साथ-साथ कोदो, कुटकी, रागी, दलहन और तिलहन फसलों की खेती बढ़ाने का आह्वान किया,उन्होंने कहा कि धान की अपेक्षा मोटे अनाज और दलहन-तिलहन कम पानी में बेहतर उत्पादन देते हैं तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक साबित हो सकते हैं, उन्होंने किसानों को फसल चक्र अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और खेती अधिक लाभकारी बनती है,मंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने की सलाह दी, उन्होंने कहा कि अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसका असर भविष्य की कृषि उत्पादकता पर पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन योजना की जानकारी

मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार के गठन के बाद प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि सर्वे में शामिल प्रत्येक पात्र परिवार को आवास योजना का लाभ मिलेगा, महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने महतारी वंदन योजना का उल्लेख किया और बताया कि पात्र विवाहित महिलाओं के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि भेजी जा रही है,उन्होंने महिलाओं से समय पर ई-केवाईसी कराने तथा अन्य हितग्राहियों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की, किसानों के हित में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है।

हजारों आवेदनों का निराकरण,शेष पर कार्रवाई जारी...

कार्यक्रम में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि शिविरों में प्राप्त मांग और शिकायत संबंधी सभी आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा, कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान जिले भर में आयोजित शिविरों में अब तक 5,332 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इनमें से 2,866 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 2,466 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है, उन्होंने खाद-बीज वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, राशन भंडारण, आधार अपडेट और ई-केवाईसी से संबंधित सुविधाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी।

हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों ने किया,इस दौरान पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड,फूड बास्केट,आइस बॉक्स,दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर एवं सहायक उपकरण प्रदान किए गए, साथ ही लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र,प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 'खुशियों की चाबी' और अभिनंदन पत्र वितरित किए गए,कार्यक्रम के दौरान गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

नशामुक्त और टीबी मुक्त कोरिया का संकल्प

शिविर के दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने उपस्थित ग्रामीणों को नशामुक्त भारत निर्माण की शपथ दिलाई,उन्होंने कहा कि शराब और अन्य नशों से दूर रहकर लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं,इसके साथ ही पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया, उपस्थित ग्रामीणों ने जनस्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का वचन दिया।

'सफइता भैया' और 'सफइतिन दीदी' बनेंगे स्वच्छता के जनदूत

सुशासन तिहार के इसी मंच से मंत्री रामविचार नेताम ने कोरिया जिले की नई स्वच्छता पहल के तहत 'सफइता भैया' और 'सफइतिन दीदी' शुभंकरों के पोस्टर का विमोचन भी किया, उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है,ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अब प्रत्येक परिवार,संस्था और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करना होगा,मंत्री ने कहा कि गीले, सूखे,सेनेटरी और घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग रखना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है, जनभागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

स्वच्छ कोरिया की दिशा में नई पहल

जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए 'सफइता भैया' और 'सफइतिन दीदी' शुभंकर अब जिले में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरा पृथक्करण के संदेशवाहक बनेंगे,आगामी दिनों में स्कूलों, ग्राम सभाओं, मोहल्लों और विभिन्न सामाजिक मंचों पर इनके माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा, कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष वंदना राजवाड़े,जिला वनमंडलाधिकारी प्रभाकर खलको,मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चैबे,एडीएम सुरेंद्र वैद्य सहित जनप्रतिनिधि,अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे,सुशासन तिहार का यह अंतिम शिविर केवल शिकायतों और मांगों के समाधान का मंच नहीं रहा,बल्कि कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण,स्वास्थ्य जागरूकता,स्वच्छता और जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया।

CMYK

मुख्यमंत्री साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं...

धान की जगह दूसरी फसल पर 15,000 प्रति एकड़ मिलेंगे

छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी का आएगा आईपीओ,शेयर खरीद सकेंगे लोग,सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत

रायपुर, 09 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में आम लोग भी पैसे लगा सकेंगे। उन्हें शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। किसान को धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। रायपुर समेत 4 शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिन होगा। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की गई है। इसके जरिए प्रदेश के लोग फोन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या लिखित आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर, पारदर्शी और तुरंत सेवाएं मिल सकेगी।

पीडीएस में चना वितरण जारी रहेगा...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राहियों को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की अनुमति दी गई है। अप्रैल से जून 2026 तक की वर्तमान व्यवस्था को भी 3 महीने तक आगे बढ़ाया गया है।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा आईपीओ

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे आम लोग और निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।

किसानों को मिलेगी 15 हजार प्रति एकड़ सहायता

खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इससे प्रशिक्षण, शिक्षा और रिसर्च का बेहतर संचालन हो सकेगा।

रायपुर समेत 4 शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इससे रायपुर,दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो सकेगा।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी...

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट का समय 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों में तेज आएगी।

खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परिवहन और भण्डारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की ग्रेडिंग और मात्रा निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। राजस्व में वृद्धि होगी।

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय समर्थ पोर्टल विवाद...

32 विभागों के पेपर लीक मामले की जांच पूरी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी,पुलिस जांच की सिफारिश

बिलासपुर,09 जून 2026। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल से जुड़े कथित हैकिंग और प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच पूरी हो गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर सीलबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंप दी है। अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर सभी की निगाहें विश्वविद्यालय प्रबंधन के फैसले पर टिकी हुई हैं। जानकारी के अनुसार,यह मामला विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल से 32 विभागों के प्रश्नपत्र लीक होने और संवेदनशील डेटा के कथित रूप से बाहर आने से जुड़ा हुआ है। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था।

जांच में हैकिंग के नहीं मिले सबूत : सूत्रों के मुताबिक जांच समिति को पोर्टल हैकिंग के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रारंभिक निष्कर्षों में यह संकेत मिले हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा लॉग-इन डिटेल्स साझा किए जाने के कारण गोपनीय जानकारी तक पहुंच संभव हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि पोर्टल का कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी व्यक्ति द्वारा साझा किया गया,जिससे प्रश्नपत्र और अन्य संवेदनशील सूचनाएं बाहर पहुंचीं।

लाखों छात्रों का डेटा भी हो सकता है प्रभावित : मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि समर्थ पोर्टल में विश्वविद्यालय से जुड़े बड़ी संख्या में छात्रों का व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रहता है। आशंका जताई जा रही है कि यदि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ तो छात्रों की निजी जानकारी भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पुलिस जांच की अनुशंसा : सूत्रों के अनुसार फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मामले की विस्तृत जांच पुलिस या साइबर विशेषज्ञ एजेंसी से कराने की अनुशंसा की है। रिपोर्ट में तकनीकी और प्रशासनिक दोनों पहलुओं की जांच की आवश्यकता बताई गई है।

प्रशासन के फैसले पर टिकी निगाहें : रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे जाने के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन मामले में क्या कदम उठाता है। यदि रिपोर्ट में किसी व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो विभागीय और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। गौरतलब है कि प्रश्नपत्र लीक और डेटा सुरक्षा से जुड़ा यह मामला सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ टैक्स बार कौंसिल का वार्षिक अधिवेशन संपन्न...विवेक सारस्वत बने नए अध्यक्ष

दुर्ग,09 जून 2026। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आयोजित छत्तीसगढ़ टैक्स बार कौंसिल का दो दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन और वार्षिक आम सभा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। कर पेशेवरों के इस सबसे बड़े समागम में प्रदेश के कोने-कोने से आए कर अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और कर सलाहकारों ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस महत्वपूर्ण आयोजन का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली में आ रहे बदलावों पर चर्चा करना और कौंसिल के भविष्य की रूपरेखा तैयार करना था। पूरे कार्यक्रम के दौरान कर नीतियों को सरल बनाने और पेशेवरों के हितों की रक्षा करने पर विशेष जोर दिया गया।

जीएसटी के जटिल कानूनी प्रावधानों और जसी नियमों पर गंभीर मंथन : इस राज्य स्तरीय अधिवेशन के दौरान वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े कई बेहद महत्वपूर्ण और समसामयिक कानूनी मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। देश और राज्य के प्रतिष्ठित कर विशेषज्ञों ने जीएसटी कानून के विभिन्न तकनीकी प्रावधानों, विभागीय जांच प्रक्रियाओं,तलाशी (सर्च) और जसी (सीजर) जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। तकनीकी सत्र के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध अधिवक्ता संजय शर्मा ने जीएसटी अधिनियम,2017 के महत्वपूर्ण पहलुओं पर व्यावहारिक प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित पेशेवरों को बताया कि किस तरह वे कानूनी दायरे में रहकर करदाताओं की समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं।

अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य सहित कई हस्तियों की रही गरिमामयी मौजूदगी

इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के तकनीकी सदस्य सतीश अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे,जिन्होंने ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली और कर विवादों के त्वरित निपटारे पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। इस पूरे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता मूलचंद जैन द्वारा की गई,जबकि कर से जुड़े तकनीकी सत्र की कमान राजेश्वर राव ने संभाली। उनके कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न सत्रों का संचालन किया गया, जहां युवा कर सलाहकारों की शंकाओं का विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया।

सत्र 2026-28 के लिए टैक्स बार कौंसिल के नए पदाधिकारियों का चुनाव

अधिवेशन के अंतिम चरण में आगामी सत्र 2026-28 के लिए छत्तीसगढ़ टैक्स बार कौंसिल के द्विवार्षिक चुनाव बेहद शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए गए। चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में हुए, जिसमें सर्वसम्मति और मतों के आधार पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस चुनाव में रायगढ़ के प्रतिष्ठित अधिवक्ता विवेक सारस्वत को कौंसिल का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि रायपुर के गोपाल कृष्ण तावनिया को महासचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई।

छत्तीसगढ़ टैक्स बार कौंसिल की नई कार्यकारिणी की पूरी सूची

- **अध्यक्ष :** अधिवक्ता विवेक सारस्वत (रायगढ़)
- **महासचिव :** अधिवक्ता गोपाल कृष्ण तावनिया (रायपुर)
- **उपाध्यक्ष :** कमल किशोर साहू, राजेश दीवान और महेंद्र पंसारी
- **कोषाध्यक्ष :** दुर्गा शंकर साहू
- **सहसचिव :** सतीश अग्रवाल और सत्य प्रकाश मिश्रा
- **प्रचार सचिव :** भरत अम्बवानी
- **अंकेक्षक (ऑडिटर) :** सीए अरविन्द चंद सुराना

अधिवेशन के समापन सत्र में कार्यक्रम के सफल, भव्य संचालन और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के लिए आयोजन समिति के प्रमुख सदस्यों अखिलेश मिश्रा और शिव सोनी की पीठ थपथपाई गई। इसके साथ ही मेजबान दुर्ग टैक्स बार एसोसिएशन को इस शानदार और अनुशासित आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों और प्रतिनिधियों ने एक सुर में माना कि यह आयोजन पूरी तरह से व्यवस्थित,ज्ञानवर्धक और गरिमामय माहौल में सम्पन्न हुआ।

छत्तीसगढ़ में मानसून देगा दस्तक

11 जून से भारी बारिश का अलर्ट जारी

रायपुर,09 जून 2026। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए इस बार मानसून को लेकर एक बेहद उत्साहजनक और राहत भरी खबर सामने आई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के रायपुर केंद्र ने अपने ताजा मौसम पूर्वानुमान में बताया है कि आने वाले दो से तीन दिनों के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए वातावरणीय परिस्थितियां तेजी से अनुकूल होती जा रही हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 11 जून 2026 से छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार अगले पाँच दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। यह खबर न केवल किसानों बल्कि आम जनता के लिए भी भीषण गर्मी से राहत का वादा लेकर आई है।

मानसून की रफ्तार के लिए बन रहे हैं अनुकूल मौसमी हालात

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने विस्तार से बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून इस समय देश के अनेक भागों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है और अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों में यह छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा इलाकों तक अपनी पहुंच बना लेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना चक्रवाती परिसंचरण तथा मध्य भारत से होकर गुजर रही द्रोणिका इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन दोनों मौसमी तंत्रों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में वातावरणीय नमी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो मानसूनी बादलों को आगे खींचने में सहायक है। मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की प्रगति के लिए समस्त परिस्थितियां धीरे-धीरे परिपक्व हो रही हैं ।

सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा हाईकोर्ट का फैसला....

पटवारी-आरआई पदोन्नति परीक्षा रद्द,नए सिरे से होगी परीक्षा

रायपुर/बिलासपुर,09 जून 2026। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा को रद्द करने संबंधी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ तो कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा निरस्त करने का आदेश यथावत बना रहेगा। बता दें कि, वर्ष 2023 में आयोजित विभागीय परीक्षा के आधार पर पटवारियों को राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी जानी थी। परीक्षा के बाद जारी चयन सूची

को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकलपीठ और बाद में खंडपीठ ने भी परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने का निर्णय दिया था। इस मामले में धनंजय सिंह और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के 2 जनवरी 2026 और 10 अप्रैल 2026 के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल शामिल थे, ने अपने फैसले में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह जताया था। अदालत ने कहा था कि ओएमआर शीट पर अभ्यर्थियों से मोबाइल नंबर लिखवाने की व्यवस्था परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है,क्योंकि इससे अभ्यर्थियों की पहचान उजागर होने की आशंका रहती है। अदालत ने यह भी गौर किया था कि परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई, जबकि परीक्षा अवधि 90 मिनट ही रखी गई। ऐसे में सभी प्रश्नों का उत्तर देना व्यवहारिक रूप से कठिन प्रतीत होता है, जबकि कुछ अभ्यर्थियों के असाधारण रूप से अधिक अंक प्राप्त करने से भी संदेह की स्थिति बनी। इसके अलावा विभिन्न जिलों में पदस्थ 22 करीबी रिश्तेदारों को क्रमवार रोल नंबर आवंटित किए जाने को भी अदालत ने संदेहास्पद माना था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा था कि परीक्षा प्रणाली की पवित्रता और निष्पक्षता सर्वोपरि है।

रेरा का 595 बिल्डरों को नोटिस

989 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी,15 दिन में जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई

रायपुर,09 जून 2026। अगर आपने किसी कॉलोनी, अपार्टमेंट या हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीदा है, तो यह खबर आपके काम की है। छत्तीसगढ़ रेरा ने प्रदेश के 595 प्रमोटरों को नोटिस जारी किया है। इनसे जुड़े 989 ऐसे प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं,जो पूरे हो चुके हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की सोसायटी को अब तक कॉमन एरिया और जरूरी सुविधाओं का अधिकार नहीं सौंपा गया है। रेरा की जांच में सामने आया कि कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डरों ने रहवासियों की सोसायटी या एसोसिएशन का गठन नहीं कराया। वहीं कई जगह पार्क, कम्युनिटी हॉल, ओपन स्पेस, सड़क, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य कॉमन सुविधाओं का हस्तांतरण भी नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई की जद में केवल निजी बिल्डर ही नहीं हैं। नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की कुछ आवासीय परियोजनाओं को लेकर भी नोटिस जारी किए गए हैं। किसी भी कॉलोनी या अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उसका प्रबंधन रहवासियों की सोसायटी को सौंपा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मेंटेनेंस, कॉमन सुविधाओं के उपयोग,फंड और प्रबंधन से जुड़े अधिकार रहवासियों को पूरी तरह नहीं मिल पाते।

कोटा जनपद पंचायत में सियासी घमासान...अध्यक्ष सूरज साधे लाल भारद्वाज के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश

बिलासपुर,09 जून 2026। जनपद पंचायत कोटा में बड़ा सियासी भूचाल आया है। जनपद सदस्यों ने अध्यक्ष सूरज साधे लाल भारद्वाज के खिलाफ सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। प्रस्ताव की सूचना जिला कलेक्टर बिलासपुर को भेज दी गई है। सदस्यों का आरोप है कि अध्यक्ष की कार्यशैली से पूरा सदन असंतुष्ट था। उनका कहना है कि अध्यक्ष केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का अत्यधिक आवंटन कर रही थीं। बाकी जनपद क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा हो रही थी। इसी वजह से सदस्यों का अध्यक्ष पर से विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष की कार्यप्रणाली जनहित के अनुकूल नहीं रही। वे जनपद पंचायत के सुचारू संचालन में असफल रहीं और प्रशासनिक कार्यों में समन्वय का अभाव दिखा। सबसे गंभीर आरोप है कि अध्यक्ष ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपने क्षेत्र में अत्यधिक राशि आवंटित करवाई। इससे अन्य वार्डों के विकास कार्य ठप हो गए।

धर्मांतरण को लेकर बवाल...चंगाई सभा पर आरोप-प्रत्यारोप,पुलिस जांच में जुटी

कवर्धा,09 जून 2026। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। लालमाटी गांव में आयोजित एक चंगाई सभा के दौरान धर्मांतरण के आरोपों को लेकर तनाव की स्थिति बन गई और मामला मारपीट व शिकायत तक पहुंच गया। घटना कवर्धा के अंतर्गत दर्ज की गई है। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के अनुसार, चंगाई सभा में लोगों को बीमारी ठीक करने और प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। आरोप है कि कुछ लोगों को यह कहा गया कि यदि वे ईसाई धर्म अपनाएंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही कुछ लोगों को धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, इस मामले में विरोध करने वाले पक्ष पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोगों और सभा में मौजूद व्यक्तियों के बीच विवाद बढ़ गया, जो बाद में झड़प में बदल गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। इस पूरे मामले में एक बैगा आदिवासी महिला ने तरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसके बेटे की तबीयत लंबे समय से खराब थी और इसी दौरान दो व्यक्ति उनके घर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने ईसा मसीह पर आस्था रखने पर सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि उनके परिवार को यह कहकर डराया गया कि यदि वे ईसाई धर्म नहीं अपनाते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां तक कि जेल भेजने की धमकी भी दी गई। बाद में परिवार के कथित रूप से ईसाई समुदाय से जुड़ने के बावजूद बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने वापस अपने मूल धर्म और परंपराओं की ओर लौटने की इच्छा जताई तो उन्हें धमकाया गया और डराने का प्रयास किया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराया और पुलिस को सूचना दी।

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच
2.46 करोड़+ हितग्राहियों
को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission
पेयजल हर आंगन
41 लाख+ परिवारों को
मिला नल कनेक्शन

धुआं छंटा, मुस्कान खिली
38 लाख+ महिलाओं को
मिला गैस कनेक्शन

नक्सलमुक्त भारत,
नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़
बस्तर से सशस्त्र
माओवाद का अंत

प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छप्पर की जगह पक्की छत
26 लाख+ परिवारों के
पक्के आवासों की स्वीकृति

शक्ति का सम्मान
68 लाख+ महिलाओं
को महतारी वंदन
योजना के तहत
सालाना
₹12 हजार की आर्थिक
सहायता

सम्मान की सौगात
24 लाख+ किसानों को
सालाना ₹6,000 की
आर्थिक सहायता

वित्तीय समावेशन
1.87 करोड़+ हितग्राहियों
के जन धन खाते खुले

मोदी की गारंटी से आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

संवाद 48100/62

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)